मंगलवार, 29 जनवरी 1985

9 माघ, 1906 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 29 जनवरी, 1985 । 9 माघ, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

मुखपृष्ठ के पीछे टिप्पण, पंक्ति 2, 'प्रभावित' के स्थान पर 'प्रामाणिक' पढ़िये ।

मुखपृष्ठ के पीछे टिप्पण, पंक्ति 3, 'प्रमाणिक' के स्थान पर 'प्रामाणिक' पढ़िये ।

========

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 1 पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 10, मंगलवार, 29 जनवरी, 1985/9 माघ, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
वि ग्रेट कमीशन आफ वि यूनियन, मैक्सिको, के प्रेसीडेंट महामहिम लिकमिगुएल गोंजा लेज अवेलर का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	4
राज्य-सभा से संदेश	16
नियम 377 के अधीन मामले	17
(एक) बाहरी दिल्ली में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण तथा इसके अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता श्री भरत सिंह	17
(दो) पुरानी दिल्ली की प्राचीन ख्याति तथा गौरव को सुरक्षित रखने की आवश्यकता श्री जयप्रकाश अग्रवाल	17
(तीन) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में पेय जल की कमी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर से पेय जल की सप्लाई करने के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता श्री वृद्धि चन्द जैन	17
(चार) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रेणुकूट, ओबरा और राबर्ट्सगंज नगरों के लिए खाना पकाने की गैस एजेंसियां श्री राम प्यारे पनिका	18
(पांच) आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में वर्धराजस्वामी परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता श्री वड्डे सोभानेद्रीश्वर राव	18
वीमा उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) संशोधन विधेयक	19
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
राव वीरेन्द्र सिंह	19
श्री वड्डे सोभानेद्रीश्वर राव	19
प्रो० एन०जी० रंगा	21
श्री थम्पन थामस	22
श्री रेणुपद दास	22
श्री भेरावदन के० गढवी	23
श्री मूल चन्द डागा	25

विषय	पृष्ठ
श्री राम नगीना मिश्र	26
श्री प्रकाश बी० पाटिल	28
श्री के० एस० राव	29
श्री बोल्ला बल्ली रमैया	29
श्री आर०एस० माने	30
श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम	31
श्री बनवारी लाल पुरोहित	31
श्री अनूपचन्द शाह	32
श्री मदन पांडे	33
श्री पूसापति आनन्द गजपति राजू	35
श्री मुरलीधर माने	35
खण्ड 2, 3 और 1	
पास किए जाने के लिए प्रस्ताव	
राव वीरेन्द्र सिंह	
बंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक	
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री अब्दुल गफूर	44
श्री आनन्द पाठक	45
श्री मूलचन्द डागा	46
श्री गिरधारी लाल व्यास	48
श्री अब्दुल रशीद काबुली	51
श्री एन० टोम्बी सिंह	56
खण्ड 2, 3 और 1	
पास किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री अब्दुल गफूर	
प्रशासनिक अधिकरण विधेयक	
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० पी० सिंह देव	61
श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम	63
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	64
श्री अजय विश्वास	70
श्री ललित माकन	71
श्री जैनुल बशर	74
श्री आर० अन्ना नाम्बी	75
खण्ड 2 से 37 और 1	
पास किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० पी० सिंह देव	76

लोक सभा

मंगलवार, 29 जनवरी, 1985/9 माघ, 1906 [शक]

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दि ग्रेट कमीशन आफ दि यूनियन, मैक्सिको, के प्रैसीडेंट महामहिम लिकमिगुएल गोंजा लेज अवेलर का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे दि ग्रेट कमीशन आफ दि यूनियन, मैक्सिको, के प्रैजीडेंट महामहिम लिकमिगुएल गोंजा लेज अवेलर का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। उनके साथ मैक्सिको दूतावास का एक स्टाफ सदस्य है। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी भारत यात्रा अत्यन्त सुखमय और लाभदायक रहे। उनके माध्यम से हम मैक्सिको की संसद, सरकार और वहां के मित्र लोगों को अपना अभिनन्दन तथा शुभकामनायें प्रेषित करते हैं।

11.01 म०पू०

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के वर्तमान सदस्य श्री के० टी० कोसलराम और भूतपूर्व सदस्य श्री भोला राम पारधी के दुखद निधन की सभा को सूचना भी देनी है।

श्री के०टी० कोसलराम लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह तमिलनाडु के तिरुचेन्दूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुने गये थे। वह 1977-84 के दौरान इसी निर्वाचन क्षेत्र से छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व वह 1946-56 के दौरान तत्कालीन संयुक्त मद्रास राज्य विधान सभा के सदस्य रहे और 1957-62 के दौरान वह तमिलनाडु विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह 1962-67 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बचपन से ही स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था और इसके लिए उन्हें कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा।

वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने हरिजनों और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिये निरन्तर प्रयास किये। श्रीलंका से वापस आए लोगों के लिये 1954 में उन्होंने नजारेट में पहला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया।

वह एक कृषक तथा लघु उद्योगपति थे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि ली। वह वैज्ञानिक विकास और ग्रामीण विकास के विशेष रूप से समर्थक थे।

उन्होंने कई देशों की यात्रा की तथा वह एक शिक्षाविद और पत्रकार थे। वह तमिल के दो समाचार-पत्रों के सम्पादक थे।

गत वर्ष वह मेरे साथ शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में सिओल गये थे और उनकी मृत्यु इतनी अचानक हुई है कि हम सभी उनकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं और यह हमारे लिए भारी आघात है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : वह पिछले शुक्रवार को इस सभा में मौजूद थे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अभी उस दिन वह सदन में बोल रहे थे तब वह स्वस्थ और ओजवान दिखाई दे रहे थे। वह एक मिलनसार व्यक्ति थे और मुझे उनकी संगत में आनन्द प्राप्त होता था और वह इतने हाजिर जवाब थे कि उनकी अचानक मृत्यु के बारे में मैंने जब सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा कुछ खो गया है।

श्री के०टी० कोसल राम का 69 वर्ष की अवस्था में 27 जनवरी, 1985 को नई दिल्ली में अचानक निधन हो गया।

श्री भोला राम पारधी मध्य प्रदेश के बालाघाट निर्वाचन-क्षेत्र से 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री पारधी पेशे से एक कृषक थे। वह 1922-51 की पूरी अवधि के दौरान सार्वजनिक जीवन में एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता रहे।

एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते वह कई सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे। वह न्याय पंचायत लालबाड़ी के प्रेजीडेंट रहे तथा बालाघाट जिला परिषद् के 15 वर्षों तक सदस्य रहे।

श्री भोला राम पारधी का 87 वर्ष की अवस्था में 23 जनवरी, 1985 को बालाघाट में निधन हुआ।

हम इन दोनों मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनायें प्रेषित करने में मेरे साथ शामिल होगा।

अपना शोक व्यक्त करने के लिये सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

[अनुवाद]

श्री० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप अगली मद लें मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन ने 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम पारित किया था.....।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि यह क्या है। मुझे यह देखना पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे एक मिनट के लिये निवेदन करने दें। आप इसे नामंजूर कर सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, इस सदन को इस प्रवृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बढ़ावा देने का प्रश्न नहीं है। यदि कोई बात है तो मैं इसका पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आज प्रश्न काल नहीं है। आपको मालूम नहीं है, आप भूल गये हैं। हम सीधे ही इस कार्य से शुरू कर रहे हैं। लेकिन महोदय मैं आपकी अनभिज्ञता का लाभ नहीं उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह संसदीय कार्य में इतने तल्लीन हो गये हैं कि वह इसे भूल गये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने अपना गृह कार्य ठीक तरह से किया है महोदय, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 है। गणतंत्र दिवस को ध्वजा रोहण समारोह के लिये कल्याण स्थित नेशनल रेयन कारपोरेशन के सामने लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। उन पर गोली चलाई गई·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब मैं इसका पता लगाऊंगा·····। एक बात है कि यह राज्य का विषय है लेकिन मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : राष्ट्र ध्वज के प्रति इससे अधिक घोर अपमान नहीं हो सकता है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इससे संतुष्ट हूं। कृपया गृह मंत्री को अनुदेश दें कि वह इस मामले की जांच करें·····(**व्यवधान**) जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा। मैंने यह कहा है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं गृह मंत्री से पूछूंगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, आपने वायदा किया था कि हमें जासूसी के मामले पर बहस करने के लिये अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : हम निर्णय कर चुके हैं। अतः इस बारे में चिंता न करें।

11.06 म०पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

छावनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री पी०वी० नरसिंह राव की ओर से छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 281 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) छावनी निधि कर्मचारी (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 अक्तूबर, 1983 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 284 में प्रकाशित हुए थे तथा उनके शुद्धि पत्र, जो 7 जनवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 11 और 2 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 126 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) का० नि० आ० 24 (अ), जो 28 फरवरी, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें किसी कार्यकारी अधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके लिए कोई छावनी बोर्ड अपने किसी भी सदस्य को अथवा कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में अधिकारियों को अधिकारों का प्रयोग करने अथवा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 301/85]

उच्चतम न्यायालय में खण्ड पीठ के लिए प्रस्ताव के बारे में विधि आयोग का 95वां प्रतिवेदन, उपभोक्ता वस्तुओं के गुण-प्रकार के नियंत्रण और निरीक्षण के बारे में विधि आयोग का 105वां प्रतिवेदन, केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 1984, केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

विधि और न्याय मन्त्री (श्री अशोक सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्चतम न्यायालय में खण्ड पीठ के लिए प्रस्ताव के बारे में विधि आयोग के 95वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 302/85]

(2) उपभोक्ता वस्तुओं के गुण-प्रकार के नियंत्रण और निरीक्षण के बारे में विधि आयोग के 105वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 303/85]

(3) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8घ की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 22 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1264 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 304/85]

(4) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गए। देखिए संख्या एल० टी० 305/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 617 (अ), जो 21 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट (25 प्रतिशत एन०) के मूल्यों के नियतन के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 653 (अ), जो 7 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट (26 प्रतिशत एन०) के मूल्य के नियतन के बारे में है।

(तीन) उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 707 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) सा० का० नि० 840 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत उर्वरक निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 306/85]

व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर तथा तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 307/85]

(2) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (पश्चिमी क्षेत्र), बम्बई के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (पश्चिमी क्षेत्र), बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 308/85]

(3) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 309/85]

(4) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 310/85]

(5) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 311/85]

(6) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-312/85]

(7) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-313/85]

(8) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-314/85]

(9) (एक) अयोजना तथा वास्तुविद स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अयोजना तथा वास्तुविद स्कूल, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-315/85]

(10) (एक) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी, पटियाला के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी, पटियाला के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-316/85]

(12) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-317/85]

(13) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टैक्नोलोजी, (राष्ट्रीय ढलाई और गढाई प्रौद्योगिकी संस्थान), रांची, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टैक्नोलोजी, (राष्ट्रीय ढलाई और गढाई प्रौद्योगिकी संस्थान) रांची, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 318/85]

(14) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 319/85]

(15) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिकलेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 320/85]

(16) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 321/85]

(17) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, श्रीनिवासनगर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, श्रीनिवासनगर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 322/85]

(18) (एक) सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजिनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजिनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 323/85]

(19) (एक) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 324/85]

(20) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 325/85]

(21) (एक) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 326/85]

(22) (एक) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 327/85]

(23) (एक) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, वारंगल, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 328/85]

(24) (एक) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, राउरकेला, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 329/85]

(25) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट (केरल) के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(26) क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, राउरकेला, कालीकट, कुरुक्षेत्र, वारंगल, नागपुर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, सूरतकल, जमशेदपुर, क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर मौलाना आजाद कालेज ऑफ टैक्नोलोजी, भोपाल, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउन्डरी एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, रांची, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़, कलकत्ता, मद्रास और भोपाल तथा एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 330/85]

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 331/85]

(28) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 332/85]

(29) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 333/85]

(30) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षत लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 334/85]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचना—मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84, विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 तथा नाविक भविष्य निधि अधिनियम के वर्ष 1966 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 9 जनवरी, 1985 को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 15(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा अधिसूचना के साथ अनुसूची में विहित कांडला पत्तन कर्मचारी (मकानों के निर्माण के लिये अग्रिम अनुदान) संशोधन विनियम, 1985 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 335/85]

(2) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 336/85]

(3) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 337/85]

(4) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 338/85]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०—339/85]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-340/85]

(6) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अंतर्गत तोषण निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 803(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०—341/85]

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 813(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) (संशोधन) विनियम, 1984 अनुमोदित किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—342/85]

बिक्री-कर (संशोधन), नियम 1985, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली बिक्री-कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 जनवरी, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-4 (3)/85—फिन(जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०—343/85]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 27(अ), जो 16 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 215/76-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं, ताकि तरल नाईट्रोजन रेफ्रिजरेटरों तथा 60 लीटर क्षमता तक के फ्लासकों पर सीमा-शुल्क की छूट को वापस लिया जा सके ।

(दो) सा० का० नि० 28(अ) और 29(अ), जो 16 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो हल्की, मध्यम और भारी वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों तथा ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए जरूरी संघटकों तथा ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए जरूरी मूल कच्चे माल से अन्यथा वस्तुओं पर 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क, 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक उपसंगी सीमा शुल्क तथा उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—344/85]

संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली तथा सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन एवं उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे ।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०—345/85]

(2) (एक) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे ।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०—346/85]

वार्षिक योजना 1984-85

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन): मैं 'वार्षिक योजना, 1984-85' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—347/85]

11.08 म०पू०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 जनवरी, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 जनवरी, 1985 को पारित किए गए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 जनवरी, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 जनवरी, 1985 को पारित किए गए कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण जानते हैं कि आज बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। सदस्यगण बीटिंग रिट्रीट देख सकें, इस उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव है कि आज सभा 4 बजे म० प० स्थगित कर दी जाए। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

मैं सदस्यों को यह भी याद दिला दूं कि कल 11 बजे सभा उन शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखेगी जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष में प्राण न्योछावर कर दिए। अध्यक्ष 11 बजे से कुछ पहले पीठासीन हो जाएंगे। सदस्यगण कृपया 10.55 म० पू० तक सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लें

11.09 म०पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बाहरी दिल्ली में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण तथा इसके अधिग्रहण पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बाहरी दिल्ली के निवासियों की कठिनाई आपके सामने रखता हूं कि बाहरी दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के द्वारा भूमि एक्वायर होती है। उसमें से कुछ भूमि पर लोगों के मकानात बने होते हैं, इसलिए भूमि एक्वायर करने से पहले आबादी का सर्वे करके बिल्ट-अप एरिया को एक्वायर न किया जाए और आबादी के साथ-साथ उनके रहने की सुविधायें, यानि पार्क आदि ग्राउन्ड छोड़े जायें जिससे पब्लिक को सुविधा मिल सके। जिस भूमि पर मकान बने हुए हैं और धारा 4 व 6 के नोटिस मकान मालिकों को भेजे गए हैं उन नोटिसों को फाइल किया जाए ताकि गरीब लोग वकील और कोर्ट की परेशानियों से छुटकारा पायें।

(दो) पुरानी दिल्ली की प्राचीन ख्याति तथा गौरव को सुरक्षित रखने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, विश्व के महानगरों में दिल्ली का विशेष स्थान है। भारत के विभिन्न शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के स्थान देखने के लिए दुनिया के देशों से प्रतिदिन पर्यटक आते हैं। परन्तु समय गुजरने के साथ प्राचीन दिल्ली का व्यक्तित्व लुप्त होता जा रहा है। बहादुरशाह ज़फर के समकालीन जौक की— "कौन जाए जौक, दिल्ली की गलियां छोड़ कर" अब दिखाई नहीं देती। चांदनी चौक में न चांदनी है और न चौक। इनके स्थान पर ऊंची इमारतें बनती जा रही हैं, जो धूप और हवा में बाधक हैं। हर ओर अथाह जनसमूह है। आबादी की बढ़ती हुई लहर राजधानी की आभा, एश्वर्य और सौंदर्य को धूमिल कर रही है। आज दिल्ली शहर का पुरातन महत्व कम होता जा रहा है। पुरातन और आधुनिकता के संघर्ष में पुराने शहर का व्यक्तित्व मिटता जा रहा है। पुरानी दिल्ली की परम्परागत विशेषता, उसका वैभव और उसके अनूठे आकर्षण का परिरक्षण करना हम सब का कर्तव्य है। मैं भारत सरकार से इस विषय में तुरन्त प्रभावी कदम उठाने की प्रार्थना करता हूं।

(तीन) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में पेयजल की कमी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर से पेय जल की सप्लाई करने के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री बुद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, देश के रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती जिलों में पीने के पानी का भयंकर संकट है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में करोड़ों रुपये के व्यय करने के उपरांत भी अधिकांश ग्रामों में पीने के पानी की स्थिति अभी भी भयंकर से भयंकरतम बनी हुई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में इन रेगिस्तानी जिलों में पीने के पानी की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं नलकूपों द्वारा बनाई गई और सैंकड़ों ग्रामों में पानी पहुंचाया गया, परन्तु ग्राम 25 वर्ग किलोमीटर से 200 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और ग्रामीण जनता ढोणियों में रहती है और जिन्हें भी पानी पहुंचाना है, उनको पानी नहीं पहुंचाया गया है।

कुछ नलकूप जो लाठी सीरीज में हैं, वे सफल हुए हैं। अधिकांश नलकूपों में 500 गैलन से 3000 गैलन तक की क्षमता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ती नहीं करते और कई गांव पीने के पानी से मेहरूम रह जाते हैं। नलकूपों में भी पानी की कमी हो रही है, जिससे यह स्थिति बन सकती है कि 10 से 20 वर्षों में यह नलकूप जो कुछ पानी देते हैं अधिक प्रयोग करने पर बेकार हो जाएं। कई गावों में नलकूप भी सफल नहीं हुए हैं।

पीने के पानी का स्थायी हल राजस्थान नहर जिसे इन्दिरा नहर के नाम से पुकारा जाता है, के लिफ्ट कैनाल सायबा [गंगानगर एवं चुरू] गजनेर एवं कोलायात, फलोदी, पोकरण एवं मोहनगढ़ एवं गढरा रोड फलो कैनाल से हो सकता है। अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि लिफ्ट कैनालों द्वारा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर एवं चुरु जिलों में पीने का पानी पहुंचाने का प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के रेणुकूट, ओबरा, राबर्ट्सगंज के लिए खाना पकाने की गैस एजेंसियां

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज): अध्यक्ष महोदय, इस समय मिर्जापुर जनपद के रेणुकूट, ओबरा, राबर्ट्सगंज में पिछले कई वर्ष से भारत सरकार द्वारा कुकिंग गैस की व्यवस्था हेतु जो कार्यवाही चल रही है, उससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त है, क्योंकि इस औद्योगिक क्षेत्र में कुकिंग गैस के अभाव में उपर्युक्त औद्योगिक नगरों की जनता के सामने ईंधन की बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। रेणुकूट में एजेंसी देने के लिए जो कार्यवाही की गई थी, वह निरस्त हो गई, परन्तु दूसरा विज्ञापन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसी प्रकार राबर्ट्सगंज में भी दूसरा विज्ञापन नहीं निकला और ओबरा के लिए भी अनावश्यक बिलम्ब हो रहा है। इसी प्रकार चुनार में भी जबकि 20,000 से कम आबादी वाले नगर को कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं हुआ। अत: मैं माननीय पैट्रोलियम मंत्री का ध्यान उपर्युक्त कठिन समस्या की ओर आकर्षित करते हुए शीघ्र ही कुकिंग गैस की व्यवस्था करने हेतु एजेंसी देने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

(पांच) आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में वरदराजा स्वामी परियोजना के निर्माण कार्य के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव (विजयवाड़ा): आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में वरदराजा स्वामी परियोजना को बहुत पहले योजना आयोग की स्वीकृति मिल गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया था और उस परियोजना पर काफी धन खर्च

हो चुका है। इसी बीच पर्यावरण विभाग ने परियोजना पर यह कहते हुए आपत्ति की है कि इससे लगभग 40 एकड़ वन-भूमि जल-मग्न हो जाएगी। रायलसीमा स्थायी रूप से सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है। इसलिए, इस परियोजना से हजारों किसानों तथा लाखों खेतिहर मजदूरों को सहायता मिलेगी। अतएव, इस बात की अविलम्ब आवश्यकता है कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय इस विषय पर गौर करें और इसे स्वीकृति प्रदान करे ताकि वरदराजा स्वामी परियोजना शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो सके।

11.15 म०पू०

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 तथा 12 पर एक-साथ विचार करेंगे, जिसके लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है। डा० ए०के० पटेल। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। राव वीरेन्द्र सिंह।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विचार किया जाए।"

यह एक बहुत साधारण संशोधन विधेयक है जो उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे हमने नवम्बर में प्रख्यापित किया था। इसका उद्देश्य चीनी मिलों के अधिग्रहण की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना है, ताकि सरकार इस विषय पर और बातचीत कर सके, या इस बात पर सही ढंग से विचार करके कि कौन से सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया जा सकता है, इन्हें मालिकों को वापस सौंपा जा सके, ताकि मिलें दोबारा रुग्ण न हो जाएं तथा सरकारी बकाया राशि भी वसूल की जा सके। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को भी सर्व-सम्मति से पारित करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री वी०एस० राव, क्या आप विधेयक पर बोलेंगे ?

श्री वड्डे सोभनेद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि केन्द्र सरकार, जिससे कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी राज्यों के चीनी उद्योग से सम्बन्धित चीनी की समस्याओं के

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

बारे में एक समान रुचि ले, दुर्भाग्यवश, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग की समस्याओं के बारे में अधिक रुचि ले रही है। ऐसी और भी कई चीनी मिलें हैं जो बन्द पड़ी हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, जिनकी ओर गन्ना उत्पादकों का करोड़ों रुपया बकाया है और जिनका प्रबन्ध केन्द्र सरकार अपने हाथ में नहीं लेती। हाल ही में इस अधिनियम के अधीन जिन पैंतालीस मिलों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है, सभी उत्तर प्रदेश में हैं। मूल अधिनियम में कुछ मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रावधान था और यह आशा की गई थी कि सरकार तीन वर्षों के लिए इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी। बाद में इस अवधि को तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब, सातवें वर्ष में वह कुछ और मिलों को अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में चेलापल्ली चीनी मिल को गन्ना उत्पादकों के बकाये के 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। पिछले पेराई मौसम में यह मिल बन्द रही। इस मौसम में भी मिल काम नहीं कर रही है और इस मिल की ओर कामगारों के वेतन का 50 लाख रुपया बकाया है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार चेलापल्ली चीनी मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले, क्योंकि यह इस अधिनियम की उन सभी शर्तों को पूरा करती है जिनका उल्लेख उद्देश्यों में किया गया है और उन सभी शर्तों को पूरा करती है जो इस अधिनियम के अधीन चीनी मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए उल्लिखित हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा देने से चीनी उद्योग की समस्या हल नहीं हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनेक सहकारी चीनी मिलें तथा सरकारी क्षेत्र की कुछ चीनी मिलें करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही हैं क्योंकि केन्द्र सरकार अयथार्थवादी किसान विरोधी नीति को जारी रखे हुए है। माननीय मंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस तथ्य के बावजूद कि कृषि मूल्य आयोग ने गन्ने का प्रति क्विंटल न्यूनतम वैधानिक मूल्य 16 रुपए 50 पैसे रखने की सिफारिश की है और कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य चौधरी रणबीर सिंह ने 10 प्रतिशत परते वाले गन्ने का मूल्य 25/- रुपए प्रति क्विंटल रखने की सिफारिश की थी, सरकार ने इस विशेषज्ञ निकाय का निर्णय स्वीकार नहीं किया है। बहुत ही कम मूल्य के कारण सहकारी चीनी मिलों तथा सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। राज्य सरकारों को उन्हें साधन योजना के अन्तर्गत अग्रिम राशि देकर या ऋण देकर उनकी सहायता करनी पड़ती है। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन मिलों को लगभग 35 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिया जाए। चीनी का मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए। चीनी का मूल्य कम बनाए रखने के पीछे क्या तर्क है? गन्ने का मूल्य तो ईंधन की लकड़ी के मूल्य से भी कम है। उपभोक्ता केवल चीनी के सहारे जीवित नहीं है। वे चावल, वस्त्र तथा दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं भी लेते हैं। एक ओर आप अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च वर्ग के लोगों तथा वेतनभोगी वर्ग को सहायता पहुंचाने मात्र के लिए आप चीनी के दाम निम्न स्तर पर बनाए रखे हुए हैं। इन लोगों को तो लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन गरीब गन्ना उत्पादकों, खेतिहर मजदूरों, आदि को नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर निष्पक्ष रूप से

विचार करें, ताकि चीनी उद्योग का विकास हो। यह एक कृषि पर आधारित उद्योग है, जो लाखों लोगों को सहायता पहुंचा रहा है। इस मूल्य वृद्धि से न केवल गन्ना उत्पादकों को लाभ होगा बल्कि इससे खेतिहर मजदूरों को भी अधिक वेतन मिलने में सहायता मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकार चेलापल्ली चीनी मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले, क्योंकि यह मिल इस अधिनियम की सभी शर्तों को पूरा करती है। मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में निर्णय लें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मुझे इस विधेयक पर कुछ एक बातें कहनी हैं। मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं कि सरकार को चेलापल्ली चीनी मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि किसानों के बकाये का भुगतान न किए जाने के कारण उन्हे हानि उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार मजदूर भी नुकसान उठा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों कर रही है।

11.24 म०पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह उचित समय है कि सरकार इस बारे में कोई निश्चित फैसला करे।

अन्य बातों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इन सभी मुद्दों का उत्तर देना मंत्री महोदय का काम है। लेकिन गन्ने का लाभकारी मूल्य तो मिलना ही चाहिए। कृषि मूल्य आयोग ने जिस मूल्य की सिफारिश की है, वह पर्याप्त है या नहीं, मैं इस समय यहां इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह अवश्य जानता हूं कि चीनी के दोहरे मूल्य बनाए रखने की आवश्यकता है, एक सारे देश में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए और दूसरा मुक्त बाजार मूल्य। मुक्त बाजार मूल्य और सरकार द्वारा दिया जाने वाला खरीद मूल्य ऐसा होना चाहिए, जिसमें चीनी मिलों को उचित लाभ कमाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश हो और साथ ही साथ उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल सके।

मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र उस नीति का, जिसका आज तक अनुकरण किया गया है, पुनरीक्षण करने तथा यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है, ताकि किसानों के साथ साथ श्रमिकों को भी संरक्षण दिया जा सके और यदि चीनी मिलें, घाटे पर चल रही हैं तो उन्हें और घाटा न उठाना पड़े। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री चीनी मिलों के प्रबंध की भी जांच करें। क्या कारण है कि बहुत सी चीनी मिलों, यहां तक सहकारी मिलों को इतना अधिक घाटा उठाना पड़ा कि वे गन्ना उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित और मिल मालिकों द्वारा स्वीकृत मूल्य अदा करने की स्थिति में नहीं हैं?

श्री चम्पन थॉमस (मवेलिकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान चीनी उद्योगों, विशेषकर कृषकों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्हें गन्ना उत्पादन में खर्च किया गया पैसा भी वापिस नहीं मिल रहा है। एक ओर तो सरकार ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे कृषकों को सहायता मिल सके और दूसरी ओर चीनी कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिल रही है। अब कुछ उद्योगों, विशेषकर उन उद्योगों को, जो गौण उत्पादन पर आधारित है, सरकार की इस नीति के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें उनके उत्पादन पर पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। मैंने केरल में दो बड़े चीनी उद्योग देखे हैं एक—ट्रावनकोर चीनी मिल तिरुवेला जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है तथा दूसरी—चित्तूर चीनी मिल, पालाघाट। इन दोनों मिलों को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सीरा नहीं मिल रहा है तथा उन्हें जितनी मात्रा में सीरा मिल रहा है, वह उत्तर प्रदेश से ही मिल रहा है यद्यपि यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी उपलब्ध है। अत: सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समान नीति नहीं बनाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस उद्योग से संबंधित कृषकों के साथ साथ श्रमिकों को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार चाहती है कि इसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाये तो उसे कम से कम उसे यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि इस उद्योग से संबंधित कृषकों एवं श्रमिकों के हितों की भलीभांति रक्षा की जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाहों के हाथ में प्रबंध रखने की बजाय, जिन्हें उद्योग के कार्य-कलाप तथा कृषकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एक मंच बनाया जाए जिसमें श्रमिकों एवं कृषकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, जो कि उद्योग के लिए एक समन्वित नीति बनाए जिसमें श्रमिकों एवं कृषकों दोनों के हितों की रक्षा की जा सके।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : यह विधेयक चीनी उपक्रमों के प्रबंध अधिग्रहण की अवधि छ: साल से बढ़ाकर सात वर्ष करने तथा नए नियम और तरीके बनाने के लिए पेश किया गया है। मैं मंत्री महोदय के उस वक्तव्य का समर्थन नहीं करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि मिलें मिल मालिकों को लौटा दी जाएंगी। मूल विधेयक में कहा गया है कि विधेयक का एकमात्र उद्देश्य आठ चीनी इकाईयों की बकाया राशि कम करना तथा यह देखना है कि मिलें चालू रहें, ताकि श्रमिकों, किसानों तथा कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहें तथा मिलों के चालू रहने से चीनी का उपभोग करने वाली जनता लाभ प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं कि मंत्री महोदय सारे लाभ मिल मालिकों को वापस देना चाहते हैं, जिसका जिक्र मूल विधेयक में नहीं किया गया है जब इसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया था तो इसका उद्देश्य यह नहीं था।

चूंकि चीनी उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, जो कि एक आवश्यक वस्तु का उत्पादन करती है, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जिस समय इन इकाईयों का प्रबंध अपने हाथ में लिया गया था, तो यह महसूस किया गया था कि अंतत: यही निर्णय लिया जायेगा कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। लेकिन मंत्री महोदय ऐसा नहीं चाहते हैं।

इन मिलों की रुग्णता का मुख्य कारण इनका कुप्रबंध है। प्रबंधक कार्यकुशल नहीं हैं तथा भ्रष्ट हैं। मिल मालिकों ने कभी भी उचित प्रबंध नहीं किया। जब कभी प्रबंध-निदेशक

या प्रबंधक ने देखा कि उपक्रम को घाटा हो रहा है, सामान्यत: वे गलत कार्य शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वे हमेशा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में धनराशि हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं।

इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया। ये मिलें पुरानी मशीनों से चल रही थीं, जिनसे लाभ की आशा नहीं की जा सकती। आधुनिकीकरण किए बिना मिलें न तो लाभ पर चलायी जा सकती हैं और न ही ये आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन सकती हैं। आधुनिकीकरण तभी किया जा सकता है जब इन पर सरकार का नियंत्रण रहे।

इसके अतिरिक्त चीनी मिलों को अपने गौण उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने चाहिए। गौण उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित किए बिना ये मिलें लाभ पर नहीं चलाई जा सकती।

यह बात भी ध्यान में आई है कि इन रुग्ण मिलों के प्रबंधकों के मजदूरों तथा मिलों को गन्ना की आपूर्ति करने वाले किसानों के साथ बड़े खराब संबंध रहे हैं। मिल मालिकों ने गन्ने का लाभकारी मूल्य दिये जाने की कभी परवाह नहीं की जिससे किसानों को अधिक गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता। इसीलिए इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के लिए शोर मचाया जा रहा था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मिलों पर गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि कितनी है और क्या इसका पूरा भुगतान कर दिया गया है। मजदूरी, बोनस या अन्य राशि के रूप में श्रमिकों की बकाया राशि भी मिलों पर हो सकती है। क्या इस बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया गया है।

अंत में मैं कहूंगा कि गन्ने के मूल्य इस तरह समायोजित किए जाने चाहिए कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। इस समय उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त अन्य देशों की तुलना में इस देश में गन्ने की पैदावार कम है। साथ ही आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन कम है। पश्चिम बंगाल में गन्ने का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। कृषि समुदाय को लाभकारी मूल्य दिए बिना कृषि इकाई को सक्षम नहीं बनाया जा सकता। अत: अंत में मैं यह मांग करता हूं कि रुग्ण इकाईयों को सरकार के नियंत्रण में रखा जाए तथा अंतत: उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। समूचे चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में पहला कदम यह उठाया जाना चाहिए कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

श्री भेराभवन के० गढवी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम सभा में या सभा से बाहर हमेशा किसानों के बारे में ही बात करते हैं। यह सच है कि हमारा देश मूलत: कृषि प्रधान देश है। हमारी 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अत: उन उद्योगों में भी, विशेषकर जो कृषि पर आधारित हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आज तक, ऐसा लगता है कि उद्योगों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण रहा है, वह कृषि पर आधारित उद्योगों के पक्ष में ही रहा है। वास्तव में भारत में हमारे अधिकांश उद्योग चाहे

वे चीनी उद्योग हैं या कपड़ा अथवा पटसन उद्योग, वे कृषि पर आधारित उद्योग हैं। लेकिन, विशेषकर चीनी उद्योग के संबंध में आप यह समझेंगे कि अधिकांश किसानों ने चाहे वे उत्तर में रहते हों या पूर्व में, या दक्षिण अथवा पश्चिम के कुछ भागों में अथवा मध्य भारत में रहते हों, यह देखा है कि गन्ना उत्पादन अलाभकारी होता जा रहा है। यह सत्य है कि कुछ राज्यों में जहां नहरों से सिंचाई होती है या जहां स्थाई रूप से सिंचाई सस्ती है, लोग गन्ने का उत्पादन करते हैं। चीनी एक कृषि उत्पाद है जिससे राजकोष को बहुत सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त चीनी उत्पादन के कारण ही हम देश में मूल्य स्थिर रख पाने में समर्थ हैं। अत: मेरी यह प्रार्थना है कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह उद्योग बना रहे, प्रगति करे और समृद्ध हो। इसकी बुराईयां तथा रुग्णता के कारण दूर किए जाने चाहिए। काफी अर्से से हम किसानों की ये शिकायतें सुनते आ रहे हैं कि उन्हें गन्ने का मूल्य समय पर नहीं दिया जा रहा है और साथ ही गन्ने के मूल्य उनके लिए अधिक अलाभकारी होते जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में चाहे यह लाभकारी है अथवा नहीं, कृषक को अपने कृषि उत्पाद का उत्पादन करते रहने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उसकी कमजोरी है। वह इसे अन्यथा नहीं समझ सकता। यदि आप लागत लाभ अनुपात का सिद्धांत लागू करें तो आप पायेंगे कि किसान के पास खेती करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। जबकि अन्य उद्योगों के मामले में ऐसा नहीं है। अत: सरकार द्वारा इस उद्योग पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विपक्ष के मेरे सहयोगी ने ठीक ही कहा है कि यह सर्वविदित है कि इन रुग्ण उद्योगों का लाभ तथा पूंजी का प्रयोग अन्य जगह किस प्रकार कर लिया गया है। आज हम जानते हैं कि इसकी रुग्णता के कारण 600 कपड़ा मिलों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि लाखों लोग बेरोजगार हैं। और इसका कारण यही रुग्णता है। इसी तरह यदि आप चीनी उद्योग के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो किसानों तथा चीनी मिलों के श्रमिकों का भाग्य अंधकारमय हो जाएगा। अत: मैं निवेदन करता हूं कि जब तक हम समूचे कृषि समुदाय को आत्म निर्भर नहीं बनाते, तब तक हम यथाशीघ्र आत्म निर्भर होने का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

अत: मैं यह निवेदन करता हूं कि आज हम चीनी का निर्यात कम मूल्य पर करते हैं। लोग भी कहते हैं कि शहरों में भी चीनी कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करनी होगी।

दुग्ध या डेरी उद्योग में भी यही कुछ हो रहा है। किसानों और स्त्रियों को, जो पशुओं को पाल रहे हैं, दूध और दूध के उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हम उन्हें सस्ते मूल्यों पर देना चाहते हैं क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए मक्खन उपलब्ध होना चाहिए। सस्ते मूल्यों पर घी उपलब्ध होना चाहिए। शोर मचाने वाले लोग ये मांगें करते रहे हैं और आज तक हम शोर मचाने वाले लोगों द्वारा की जा रही मांगे ही मानते रहे हैं और उन लोगों की नहीं जो देश में कठिन परिश्रम करके खून पसीना बहा रहे हैं। अभी तक हमने कृषकों की कठिनाईयों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मैं गांव से आया हूं और मुझे ग्रामीणों की कठिनाईयों की जानकारी है। वहां 8 घंटे की पाली नहीं होती। वहां मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ता नहीं दिया

जाता। वहां हड़ताल नहीं होती। भारतीय किसान हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्या उन्हें अपने उत्पादों के लिए, चाहे वह गन्ना हो, या दूध, खाद्यान्न हो या अरंडी का तेल, दालें हों अथवा कुछ और, लाभकारी मूल्य भी न मिले। अब समय आ गया है जब कि हमें उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान देना होगा।

निश्चय ही मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि मैं मंत्री महोदय तथा भारत सरकार के कृषि विभाग से अपने किसानों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए दबाव डालूं तो यह अधिक संगत होगा। अब समय आ गया है जबकि कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाये तथा उनकी पूरी तरह जांच करवायी जाये। अन्यथा असंतोष तथा गरीबी, जिसका आप निवारण करना चाहते हैं, आप समाप्त नहीं कर पायेंगे।

चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। वसूल की जा रही मूल्य ह्रास निधि का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसाकि पहले बताया गया है कि अन्य उद्योगों के लिये धन दिया जा रहा है। और जो किसान गन्ना बेचते हैं उन्हें समय पर भुगतान नहीं दिया जाता है। हम ऐसे उद्योगों का क्या करें। हम उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। और वे चाहते हैं कि ऐसा हो। कभी कभी प्रबंधक तथा उद्योग केवल इस इरादे से कार्य करते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ताकि वे इससे बच जायें। मैं समझता हूं कि इस संबंध में एक दाण्डिक प्रावधान अंतर्विष्ट किया जाना होगा कि यदि कोई व्यक्ति या प्रबंधक जानबूझकर किसी एकक को रुग्ण अथवा अलाभकारी बनाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बकाया राशि वसूल की जानी चाहिए। इसके लिए दाण्डिक उपबंध तथा कारखाने को हुई हानि की प्रबन्धकों से वसूली करने संबंधी उपबंध होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हो रहा है, मुझे डर है कि इन सभी उपायों के बावजूद भी प्रबंधक वर्ग इसकी अवज्ञा करता रहेगा। अतः, अब समय आ गया है कि इस बारे में कुछ दाण्डिक उपबंध किये जायें।

चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि कृषि पर आधारित उद्योग—न केवल चीनी उद्योग बल्कि सभी उद्योगों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये और उनकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिये, ताकि हमारी कृषि समृद्ध हो, किसानों तथा श्रमिकों को उसका लाभ पहुंचे और हम खाद्यान्नों की कमी तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की समस्या को हल कर सकें।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कितने साल से यह बात सुनने में आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने उस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है कि समस्त शूगर इंडस्ट्रीज का देश में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यह निर्णय हम कर चुके हैं कि शूगर इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसको कई बार दोहरा चुके हैं, इस सदन में भी चर्चा हुई है, लेकिन आज जब हम इस बिल को देखते हैं तो उसमें सिर्फ मैनेजमैंट के टेकिंग ओवर की बात ही कही गई है। मैं यह समझ पाया हूं कि या तो सरकार यह निर्णय ले ले कि तमाम शूगर इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जैसा कि हमारी नीति भी है ताकि हमारे काश्तकारों को गन्ने के दाम ठीक मिल सकें, मजदूरों की समस्याओं का निराकरण हो सके और वे ठीक काम कर सकें।

इन्होंने इस बिल के रीजन में दिया है कि पहले मैनेजमैंट टेक-ओवर करने के लिए 3 साल की अवधि रखी गई थी उसके बाद उसे 6 साल कर दिया गया और अब इसे एक साल और बढ़ाया जा रहा है और वह लिखते हैं ।

[अनुवाद] "प्रशासनिक तथा तार्किक दृष्टि से वे कारण क्या हैं ?"

[हिन्दी]

सरकार यह बताने की कृपा करे कि क्या 7 साल के बाद उनका मैनेजमैंट उनको सुपुर्द कर देंगे ? बार बार समय बढ़ाने का साइंटिफिक बेस क्या है ? यह जो दिया है यह कोई बेस नहीं है आपने अपनी विचारधारा रख दी है । सरकार यह भी बताये कि जिन इंडस्ट्रीज का टाइम बढ़ाना चाहते हैं, उनमें सरकार का कितना इन्वैस्टमैंट हो चुका है । इन्वैस्टमैंट के बाद सरकार को उसमें कितना नफा या नुक्सान हुआ है ? जो पैसा शूगर सैल से कमाया वह कितना है और उससे कितनी मशीनें खरीदी हैं और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है ? मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि क्या लेबर लाज के मुताबिक उनको पूरा बोनस दिया जा रहा है और कितने लोगों को बोनस दिया गया है जहां पर कि मैनेजमैंट सरकार के हाथ में है ? यह भी बताने की कृपा करें कि खेतिहर मजदूर की हालत कैसे सुधारी जा रही है ? यह भी बताने की कृपा करें कि खेती मजदूर जो शूगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको क्या तनख्वाह मिलती है और उनका मिनिमम वेजेज क्या है ? यह यू०पी०, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या है ? मैं समझता हूं कि वहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट को भी लागू नहीं करते । बोनस भी नहीं मिलता है । हम चाहते हैं कि सरकार को पूरी शूगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, इससे मजदूरों को लाभ होगा । इस तरह से हम आगे बढ़ें तो अच्छा होगा ।

श्री रामनगीना मिश्र (सेलम पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यों तो इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं लेकिन मंत्री जी के सामने गन्ना किसान की परेशानी रखता हूं ।

आश्चर्य यह है कि इसके पहले भी कानून बने हुए हैं । एक गन्ना परचेज एक्ट बना हुआ है । उसमें एक नियम यह है कि अगर किसान गन्ना सप्लाई करता है और शूगर इंडस्ट्री 15 दिन में उसका भुगतान नहीं करती है तो उन्हें किसान को इन्ट्रस्ट देना पड़ेगा । मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं, वहां लाखों नहीं अरबों रुपया गन्ना किसान का बकाया रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां एक पैसा भी गन्ना किसान को इन्ट्रेस्ट के रूप में दिया गया है ? नहीं दिया गया है ।

हालत यह है कि जब गन्ना किसान गन्ना बोता है और उसे काटने के बाद मिल को सप्लाई करता है । तो उसका रुपया सालों साल बकाया रहता है । उसके जिम्मे जितना सरकारी मुतालबा होता है, चाहे लगान हो या बैंक का लोन हो, अगर वह उसे वापिस नहीं देता है, तो उस पर कुड़की होती है, उसे हवालात में बन्द किया जाता है । यह कैसा नियम है ? मेरा निवेदन है कि गन्ना पर्चेज एक्ट के नियम सख्ती से लागू होने चाहियें । आज तक जो अरबों रुपया गन्ना किसानों का मिलों पर बकाया है या था, उस पर उन्हें इन्ट्रेस्ट भी मिलना चाहिये । मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो, जहां पर सामान दिया जाये और उसका दाम न मिले, लेकिन केवल एक अभागा किसान है जो गन्ना बोता है, फैक्टरी को देता है और सालों-साल हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहता है, और उसका दाम उसे नहीं मिलता ।

पार-साल अरबों रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया रहा, भारत सरकार को लोन देना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को करीब 70 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में मिलों को देना पड़ा। क्या कारण है आज उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों की हालत खराब हो गई है, चाहे वे सरकारी सैक्टर में हों, गैर-सरकारी सैक्टर में हों ? मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, जो कि घाटे में न चल रही हो। मान्यवर, कई किस्म की फैक्ट्रियां हैं। हमारे यहां प्राइवेट सैक्टर में मिलें हैं, कार्पोरेशन की मिलें हैं, कुछ कोआपरेटिव की हैं और एक फैक्ट्री ऐसी भी है जिस का नाम कानपुर शूगर वर्क्स लिमिटेड है। उसमें 48 परसेंट शेयर सरकारी हैं और 52 परसेंट दूसरों के हैं। उसकी हालत यह है कि केवल उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ रुपया उसका ड्यू है। अभी-अभी चार फैक्ट्रियों को सवा चार करोड़ रुपया गन्ने का दाम नहीं मिल रहा था। भारत सरकार ने भी इन्कार किया, बड़ी मेहनत के बाद सवा चार करोड़ रुपया देना पड़ा। इस तरह से मैं समझता हूं कि वह फैक्ट्री ऐसी है कि न तो सरकारी है, न गैर-सरकारी है, यह एक नये किस्म की फैक्ट्री है।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कानपुर शूगर वर्क्स लिमिटेड की जो 6 फैक्ट्रियां हैं, तीन बिहार में हैं, तीन उत्तर प्रदेश में हैं, उसकी जांच करा लें। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि जिस का करोड़ों रुपया बकाया न हो। जब सारा बकाया इतना बढ़ जायेगा कि उसको एक-एक नट बोल्ट का दाम सरकार को मिलने वाला नहीं रहेगा। उस पर सरकार कहेगी कि मैं इसको अपने हाथ में ले रहा हूं। मैं चाहूंगा जब अगर 48 परसेंट शेयर सरकार के हैं जो उसके 2-3 परसेंट शेयर लेकर उसको अपने हाथ में ले लें। वहां ऐसे भी अधिकारी हैं जो 8-9 हजार तनख्वाह पाने वाले हैं। नियम यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी दो पदों पर तनख्वाह नहीं पा सकता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां अधिकारी दो पदों पर बैठकर तनख्वाह लेते रहे और जब भारत सरकार ने एतराज किया तो उनका डेजिगनेशन चेंज कर दिया गया। आज उसकी जगह डेढ़ हजार और इजाफा करके साढे 9 हजार तनख्वाह दी जा रही है और फैक्ट्री की हालत जर्जर होती जा रही है।

गन्ने की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से पश्चिम में केन क्रशर लगे हैं। हजारों की संख्या में क्रशर लगे हैं। वे क्रशर गन्ना किसानों को शूगर फैक्ट्रियों के मूल्य से कम मूल्य देते हैं, रिकवरी भी कम होती है। यह नैशनल लॉस है। एक ऐसा नियम बना दें जैसे मिलों को केन यूनियन के माध्यम से गन्ना सप्लाई होता है उसी तरह से क्रशर वालों को भी केन यूनियन के माध्यम से गन्ना सप्लाई होना चाहिये और किसानों को केन क्रशर वालों द्वारा कम मूल्य न दिया जाये। केन क्रशर वालों को उतना ही देना चाहिये जितना शूगर फैक्ट्रियां देती हैं। केन क्रशर वालों को जीवित रखने के लिये उनकी भी आप जांच कर लें। कुछ ऐसा नियम बना दें जिससे उनको भी घाटा न हो सके। फैक्ट्रियां चलती रहें, लॉस न हो, गन्ना-किसानों को उचित दाम मिले जो राष्ट्रीय नुक्सान हो रहा है, उसकी पूर्ति हो सके। इसका सख्ती से पालन होना चाहिये। गन्ना किसान जब गन्ना पहुंचाए तो उसके 15-20 दिन या एक महीने के अन्दर दाम मिलने चाहियें।

मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं गन्ना बोने वाला किसान हूं। गन्ने की पर्चियों को विवाह-शादी में 15-15 रुपये सूद पर गिरवी रखा जाता है, लड़कों की फीस देनी पड़ती है तो पैसे के अभाव में पर्चियों के रहते हुए भी किसान त्राहि-त्राहि करता है। यह सख्ती से नियम होना चाहिये कि किसान गन्ना सप्लाई करे तो उसके दाम तुरन्त मिलने चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर भारत की सारी

फैक्ट्रियां बन्द हो जायेंगी। मैं चाहूंगा कि सर्वे करा लें। उत्तर भारत की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। दक्षिण भारत की फैक्ट्रियों की हालत यह है कि वहां रिकवरी अच्छी है ——गन्ने की उपज भी अधिक है और किसानों की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। वहां पर कोआपरेटिव फैक्ट्रियां हैं और किसानों को बोनस भी मिलता है। उत्तर भारत में ठीक इस के विपरीत है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक है रिकवरी हमारी डाउन है और गन्ने का दाम नहीं मिलता है इसलिए किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि केवल गन्ने का दाम न मिलने की वजह से उत्तर भारत में गन्ने की उपज कम हुई है और चीनी भी कम हुई है जब कि समूचे देश में जितनी शूगर फैक्ट्रियां हैं उन में से आधी शूगर फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उत्तर भारत की शूगर फैक्ट्रियों को बचाने के लिए जो छोटी-छोटी यूनिटें जिन की रिकवरी डाउन है, मिलें पुरानी हैं उन में सुधार करना चाहिए और यह बात भी सच है कि सरकार को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे या राष्ट्रीयकरण करेंगे? इस से यह फायदा हो जाएगा कि जो मिलें है उनके मालिक नयी-नयी मशीनें और आधुनिक मशीनें लगा कर मिलों को तैयार करेंगे। होता क्या है कि जब सारी मिल जर्जर हो जाती है तो वह सरकार से निवेदन करते हैं और सरकार उन को अपने अधीन ले लेती है। हमारे यहां ऐसी तीन मिलें हैं जो सेंटर के अधीन चल रही है। मैं समझता हूं कि जब उनको घाटा होने लगे तो आप अपने हाथ में ले लें और जब घाटा पूरा हो जाये, मिलें ठीक चलने लगें तो आप उनको हैंड ओवर कर दें यह फिजूल खर्ची की नीति है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप नीति घोषित कर दें, राष्ट्रीयकरण करना हो तो कर लें और न करना हो तो साफ कर दें। यह बहुत दिनों से झगड़ा चला आ रहा है हालांकि मैं यह उचित समझता हूं कि जो छोटी-छोटी मिलें हैं वह आज बदतर हालत में हैं उन को भी उस में घाटा है और सरकार को दृढ़ता के साथ सारी फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए और जो पुराने नियम हैं उन का सख्ती से पालन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ जो बिल आप ने पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाश वी० पाटिल (सांगली) : उपाध्यक्ष महोदय, शूगर फैक्ट्रियों के बारे में महाराष्ट्र के बारे में जो बात कही गई है, महाराष्ट्र में तो शूगर फैक्ट्रीज अच्छी तरह से चल रही हैं। उन की रिकवरी भी अच्छी है और इन सब की वजह से वह इंडस्ट्री वहां अच्छी चल रही है। जो अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उपस्थित किया था उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि शुरू में हम ने कुल 5-6 करोड़ रुपया सरकार से लिया होगा लेकिन पन्द्रह बीस सालों में हमने रेवेन्यू के तौर पर 100 करोड़ रुपया सरकार में जमा किया है। ऐसी परिस्थिति वहां है।

उत्तर प्रदेश का प्रश्न लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में रिकवरी कम होने की वजह से वहां यह इंडस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती है और मशीनरी भी वहां पुरानी होने की वजह से कितना भी इनवैस्टमेंट डालते जाइए, एम्पलायमेंट रखने के लिए आप ज्यादा पैसा वहां दे रहे हैं, लेकिन उस में आप को सोचना चाहिए कि ऐसी हालत में जो वहां ओनर्स है वह भी अच्छी तरह से फैक्ट्री वहां चला नहीं सकते हैं और उन को मुनाफा भी नहीं हो सकता है। लिहाजा कोई कमेटी उस के लिए नियुक्त करनी चाहिए जिस के जरिए से एक अच्छा मैनेजमैंट वहां आ जाए और प्राइवेट ओनर्स को उस का फायदा होने के बजाय कुछ कोआपरेटिव वगैरह वहां हो और वह प्रापरली मैनेज्ड हों या उन को नेशनलाइज्ड कर के उन से प्राफिट कमाने का उपाय करना चाहिए। उसी के जरिए से फार्मर्स को मुनाफा हो सकेगा। या जैसा कि एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि और दूसरे कारखाने वहां लगाए जाएं, वह वहां अच्छे चलेंगे,

इस के बारे में भी आप को सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्री वहां अच्छी तरह से नहीं चलती है उस में कुछ चेंज करना चाहिए। कुछ और इंडस्ट्री वहां चलाई जाये क्योंकि पानी की वहां पर सुविधा है जिससे दूसरी कोई कोआपरेटिव इंडस्ट्री वहां अच्छी तरह से चलायी जा सकती है। चाहे टुबैको की हो या आयल की हो या और कोई इंडस्ट्री वहां हो सकती है तो उस को देखना चाहिए क्योंकि शूगर इंडस्ट्री में रिकवरी कम होने की वजह से उत्तर प्रदेश में उस से मुनाफा होना नामुमकिन है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय, चीनी उद्यम (प्रबंध ग्रहण) संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुये मैं आंध्र प्रदेश के एक कारखाने का उल्लेख करना चाहता हूं जहां करोड़ों रुपयों का निवेश किया गया है — वह है कृष्णा जिले में 'चल्लापल्ली शूगर'। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह मिल पिछले दो वर्षों से अधिक समय से रुग्ण हो गई है और मिल मालिकों को स्थानीय किसानों के कई करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इससे उन किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिन की आय के साधन बहुत कम हैं और जिन्हें इस कारखाने से बहुत आशाएं थी। सरकार द्वारा इस मिल का अधिग्रहण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ है कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित इकाईयों में यह मिल शामिल नहीं की गयी है।

12.00 मध्याह्न

यहां न केवल किसानों को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि कर्मकारों जिनमें से अधिकतर काम न मिलने के कारण भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और कुशल कर्मचारियों को कई वर्षों से काम नहीं दिया जा रहा। केवल इस आशा के साथ काफी मात्रा में सरकारी धन इस बड़ी इकाई को उधार दिया जा रहा है कि प्रबंधक और रोजगार दे पायें और उत्पादन में सुधार कर पायेंगे, यह सब बेकार है। मेरे विचार में कारखाने से जुड़े कुछ निहित स्वार्थ इस इकाई का अधिग्रहण करने के मार्ग में बाधक बन रहे हैं। यह सलाह देना उचित होगा और जनहित में भी होगा कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाले इकाईयों में इस इकाई को भी शामिल किया जाना चाहिये और उसका तुरन्त अधिग्रहण किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं इस संबंध में एक अच्छी बात यह है कि कारखाने में लगाई गई मशीनरी नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली है। विशेष रूप से इस मशीनरी को, जिस का अधिकतम उपयोग किया जा सकता था, यदि कुछ समय या कुछ वर्षों के लिये बेकार पड़े रहने दिया जायेगा तो यह एक ऐसा कबाड़ होगी जिससे उस क्षेत्र के लोगों तथा राष्ट्र दोनों को हानि होगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अन्य उपक्रमों के साथ इस इकाई को भी शामिल किया जाये।

श्री बोल्ला बल्ली रमैया (ऐलुरु) : मैं सामान्यता चीनी उद्योग संबंधी सिद्धांत के बारे में बोलना चाहूंगा किसी विशेष उपक्रम पर नहीं। जैसाकि हमारे दोनों पक्षों के मित्रों ने आंध्र प्रदेश की चेल्लापल्ली शूगर्स का उल्लेख किया है यह एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और इसे विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये और इसका अधिग्रहण किया जाना चाहिये।

तीन वर्ष पहले चीनी उद्योग ने 80 लाख टन से भी अधिक चीनी का उत्पादन किया था और अब यह उत्पादन कम होकर 60 लाख टन रह गया है। कुछ वर्ष पहले हम चीनी का निर्यात कर रहे थे लेकिन इस वर्ष हमारी चीनी नीति के कारण हमें चीनी का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा।

जैसाकि दोनों पक्षों के हमारे मित्रों ने बताया कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य, जिसमें मूल बातें जैसे मूल्य ढांचा और विभिन्न अन्य लागत को ध्यान में रखा जाता है के बावजूद गन्ने का मूल्य लाभकारी नहीं है। इस बात का बार-बार उल्लेख किया गया है कि सरकार कम से कम एक साल पहले गन्ने के मूल्य की घोषणा करेगी ताकि किसान यह निर्णय कर सके कि लाभकारी मूल्य कौनसा है और उसे कौनसी फसल बोनी चाहिये। इस नीति पर इतने वर्षों पर चर्चा करने और इस पर बार-बार बल देने के बावजूद इस वर्ष भी गन्ना पिराई का मौसम शुरू होने पर भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। इससे किसान असमंजस में रहते हैं और हमारी क्षमता तथा कार्य कुशलता के बावजूद हमारा चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है। जैसाकि मैं ने पहले कहा है कि अपने उद्योग तथा अपने किसानों को प्रोत्साहन न देने के कारण हमें चीनी के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह नीति संबंधी मामला है जिस पर सरकार को विचार करना है।

जैसाकि हमारे मित्रों ने बताया कि हमें यह देखना होगा कि अधिग्रहण की जा रही फैक्टरी का कार्य निष्पादन क्या है क्या वे कुशल प्रबंध दे पायेंगे और क्या वे इसका आधुनिकीकरण कर पायेंगे, क्या वे इसे निर्धारित लक्ष्य तक चला पायेंगे क्या उनके पास पर्याप्त औद्योगिकी तथा वैज्ञानिक प्रबंध है—इन सब बातों का ध्यान रखा जाना होगा।

इस उद्योग में क्या होने जा रहा है? यह मूल कृषि आधारित उद्योग है और यह काफी लम्बे समय से चला आ रहा है। मैं तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों की ओर से आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे देश में काफी प्रतिभा है। नीति संबंधी मामला सरकार के हाथ में है। यदि वह नीति संबंधी निर्णय लेती है तो हम न केवल अपना उत्पादन 80 लाख टन तक बढ़ा सकते हैं बल्कि अब तक हमने अपना उत्पादन 100 लाख टन से भी अधिक कर लिया होता। लेकिन यह एक नीति सम्बंधी मामला है कि जिस पर सरकार को विचार करना है। केवल इकाईयों के अधिग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को कार्यकुशलता, प्रबंध और तकनीक में सुधार करना चाहिये तथा गन्ने का लाभप्रद मूल्य भी देना चाहिये। गन्ना खेतों में पैदा किया जाता है और जब तक सरकार इसका लाभप्रद मूल्य नहीं दे पाती तब तक चीनी का उत्पादन नहीं किया जा सकता। कारखाना तो केवल चीनी तैयार कर सकता है। कारखाने गन्ने में उपलब्ध चीनी निकालेंगे। इसलिये सरकार को यह देखना चाहिये कि किसानों को बेहतर किस्म का गन्ना पैदा करने के लिये प्रोत्साहन मिले। इसके लिये बेहतर मूल्य दिया जाना चाहिये। केवल तभी आप अपने चीनी उद्योग की दशा सुधार सकते हैं तथा आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह चीनी उद्योग में अधिक रुचि ले तथा यथाशीघ्र नीति संबंधी निर्णय ले।

श्री आर० एस० माने (इचलकरंजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो चीनी उद्योग न ही गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सभी चीनी कारखाने

सहकारिता क्षेत्र में लाये जाएं। जहां कारखानों को सहकारिता क्षेत्र में चलाने की सम्भावना नहीं है भारत सरकार उन्हें अपने हाथ में ले ले लेकिन किसानों को लाभप्रद मूल्य अवश्य दिया जाये।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल्य एक बार में एक ही किश्त में दिये जाएं। इस समय कारखाने ये मूल्य दो-तीन किश्तों में दे रहे हैं यह गलत परंपरा है तथा चीनी उत्पाद-कर्त्ताओं के हितों के अनुकूल नहीं है।

मेरी अगली बात यह है कि आधुनिकीकरण और अच्छा प्रबंध इस उद्योग की मूल आवश्यकताएं हैं। और फिर लाइसेंस देने में भी कमियां हैं। मैं चाहता हूं कि जहां कहीं बहुत अधिक गन्ना पैदा होता है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं तथा गन्ने से अधिक चीनी प्राप्त होती है वहां मार्गदर्शी सिद्धांतों की ओर ध्यान दिये बिना ही लाइसेंस दिये जाएं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया जाना चाहिये। मेरा यह भी अनुरोध है कि कृषि मूल्य आयोग में गन्ना उत्पादकों का एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिये। चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है और मैं माननीय मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह जी को सुझाव दूंगा कि वह नई चीनी नीति पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल या आयोग की नियुक्ति करें। अब तक चीनी उद्योग नीति का क्रियान्वयन परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है। यह वांछनीय नहीं है। इस उद्योग का वैज्ञानिक तथा आधुनिक अध्ययन करवाया जाये।

श्री निस्संकारा राववेंकटरत्नम (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, जहां तक चीनी उद्योग के अधिग्रहण का संबंध है मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के एक विशेष मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। चल्लापल्ली चीनी कारखाना आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध कारखाना है। इस कारखाने को बंद हुए यह दूसरा मौसम है इस कारखाने को 1.5 करोड़ रु० की बकाया राशि देनी है तथा श्रमिकों को 50 लाख रुपया देना है। केन्द्र सरकार के पास इस कारखाने को अधिग्रहण करने का मामला बिल्कुल सही है जिससे हम श्रमिकों के अधिकारों तथा उस क्षेत्र के उद्योग को बचा सकते हैं। उस क्षेत्र की जनता ने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि वह यह देखें कि इस कारखाना को निजी प्रबंधक न खरीदें, यद्यपि निजी प्रबंधक उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि सरकार इस इकाई का अधिग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। अतः मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार इस इकाई का अधिग्रहण करने पर विचार करे। चेल्लापल्ली चीनी एकक का अधिग्रहण करना केंद्र सरकार के लिये एक उपयुक्त मामला है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, शक्कर की नीति में कुछ आमूल परिवर्तन करना बहुत लाजमी है क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ़ गन्ने की कीमत फिक्स्ड रहती है परन्तु दूसरी तरफ शक्कर की कीमतों में बहुत फलक्चुएशन होता है। ऐसा क्यों होता है, यह समझ में नहीं आता है। जब गन्ने की कीमत निश्चित है तो शक्कर के भाव कभी कम हो जाते हैं और कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं—ऐसा क्यों होता है ? इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

हम ने यह भी देखा है कि जब से कोआपरेटिव क्षेत्र में शूगर फैक्ट्रीज आई हैं उन से भी समस्या ल नहीं हुई है। उन में जो अच्छी कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्रीज हैं वे तो ठीक चल रही हैं लेकिन जिन कोआपरेटिव फैक्ट्रीज का मैनेजमेन्ट ठीक नहीं है, उन से जो फायदा किसानों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन के पदाधिकारी अपनी जेबों को भर रहे हैं। इस पर भी हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

यह भी देखने में आया है कि जो शूगर मिलें हैं उनमें से बहुत सी घाटे में चल रही हैं । प्रश्न यह है कि वे घाटे में क्यों जा रही हैं ? मेरी दृष्टि में उन का औद्योगीकरण होना बहुत जरूरी है। इस में यह भी देखना होगा कि जितनी यील्ड गन्ने की आनी चाहिए यदि उतनी यील्ड नहीं आयेगी तो वे किसानों को ज्यादा कीमत नहीं दे सकेंगे । इस दृष्टि से उन मिलों की मशीनरी को सुधारना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि जितने शूगर के कारखाने हैं उन का सर्वे किया जाए और जहां जहां पुरानी मशीनें हैं जिन का आधुनिक मशीनों के मुकाबले उपयोग नहीं है जिनकी वजह से मिल को घाटा होता है उन मिलों की पुरानी मशीनों को बदलने के लिये सरकार की तरफ़ से जो भी मदद दी जा सकती है वह दी जानी चाहिये ।

विचार करने के लिये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां-जहां शूगर फैक्ट्रीज हैं उन के साथ बाइ-प्राडक्ट के लिये जहां-जहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जैसे अलकोहल की फैक्ट्री या कागज बनाने की फैक्ट्री, वे फैक्ट्रीज हमेशा मुनाफ़ा कमाती हैं। लेकिन जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है या जिन का माल दूर कागज की मिल को जायेगा वहां ट्रांस्पोर्ट का इतना खर्च आता है कि उन को उस का लाभ नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर शूगर फैक्टरी के साथ उस के बाइ-प्राडक्ट का कारखाना भी उसी स्थान पर लगाया जाए, इस से मुनाफ़ा अच्छा होगा, किसानों को उन के गन्ने की अच्छी कीमत दी जा सकेगी । मेरे अन्य साथियों ने गन्ने की कीमत बढ़ाने का जो सुझाव रखा है मैं भी उस का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं लेकिन इस के साथ ही फैक्ट्री किस तरह से किसानों को गन्ने का ज्यादा भाव दे सकें सरकार को इस नीति पर विचार करना चाहिए ।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार की तरफ़ से सस्ती कीमत पर जो चीनी दी जाती है, वह भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाती है। बहुत से ब्लैक-मार्केटियर्स उस का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं और वह उपभोक्ताओं तक पहुंच ही नहीं पाती है। सरकार को इस पर भी विचार करने की व्यवस्था करनी चाहिए । सरकार को इस समय जो एक वर्ष का समय मिल रहा है उस में इस नीति में आमूल परिवर्तन कर के ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर चीनी मिल सके, साथ ही किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिल सके, इस के लिये कोई अच्छी नीति सरकार लायेगी ऐसा विश्वास करते हुए मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई-उत्तर) : डिप्टी स्पीकर साहब, शूगर इण्डस्ट्रीज के मैनेजमेन्ट को टेक-ओवर करने का जो बिल सदन के सामने रखा गया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन शूगर इण्डस्ट्रीज के बारे में हमारा जो महाराष्ट्र का अनुभव है उस को दृष्टि में रखते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जब भी किसी इण्डस्ट्री के बारे में कहना होता है तो हमारे सामने एक ही बात आती है कि उस का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। लेकिन राष्ट्रीयकरण करना क्या उस इण्डस्ट्री की जो किसी रोग से पीड़ित हैं एक-मात्र दवा है ।

आज हमारे महाराष्ट्र में शूगर इंडस्ट्री कोआपरेटिव बेसिस पर अच्छे ढंग से चल रही है। महाराष्ट्र में शूगर इंडस्ट्री को अगर पोलीटीकल कलर न दिया जाए तो वे अच्छे ढंग से चल रही है लेकिन हमारे यहां भी अलग-अलग नीति रहती है। शहर में जा कर बोलते हैं कि शूगर कम भाव में मिलनी चाहिए। गन्ना उत्पादकों के बीच में बोलेंगे कि गन्ने का भाव अच्छा मिलना चाहिए और फैक्ट्री एरिया में जा कर बोलेंगे कि वर्कर्स को वेजेज अच्छे मिलने चाहिएं। गन्ना पैदा करने वाले को अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए यह जरूरी है और फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं उन को वेजेज उन के हिसाब से मिलने चाहिएं लेकिन इन दोनों बातों को साथ-साथ ले कर हम यह नहीं कह सकते कि जनता पार्टी के राज्य में जो शूगर ढाई रुपये किलो में बिकी थी उसी भाव में यह अब भी मिलनी चाहिए। जनता पार्टी के राज्य में ढाई रुपये प्रति किलो जो शूगर बिकी तो दूसरे साल में इस का क्या परिणाम निकला यह हमने देख लिया था। हम जानते हैं कि गन्ना पैदा करने वालों ने कम गन्ना बोया और इस से गन्ने की प्राडक्शन कम हो गई क्योंकि उन को उन के माल का उचित भाव नहीं मिला था। इसलिये मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां-जहां कोआपरेटिव बेसिस पर अच्छे ढंग से इंडस्ट्री चल रही है वहां सिर्फ नेशनेलाइजेशन के आदर्श को आगे ले कर इंडस्ट्री को नैशनेलाइज कर के अच्छा मैनेजमेंट हम नहीं दे सकते। टैक्सटाइल इंडस्ट्री का जो हमारा अनुभव है उसी बेस पर सोच-समझ कर हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए और सिर्फ नैशनेलाइजेशन कर के अच्छा मैनेजमेंट हम दे सकेंगे और अच्छा प्रोडक्शन दे सकेंगे यह समझना ठीक नहीं है। इसलिये मैं यही कहूंगा कि जहां तक शूगर इंडस्ट्री का सवाल है हमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए कि कौन से बेस पर हम आगे जाना चाहते हैं। अगर हम पूरे भारतवर्ष में जहां शूगर इंडस्ट्री है उसको नैशनेलाइज करना चाहते हैं तो हमें इमीजिएट डिसीजन लेना चाहिए। आज परिस्थिति यह हो रही है कि जिन के हाथ में इंडस्ट्री है जहां पर कोआपरेटिव बेसिस पर इंडस्ट्री चल रही है, उस को तो छोड़ दीजिए उन लोगों ने बाकी जगहों पर इंडस्ट्री को ऐसी हालत में ला कर रख दिया है कि सरकार के हाथ में इंडस्ट्री लेने के बाद सरकार की हालत बहुत खराब हो जाएगी।

इसलिए इस बिल का समर्थन करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें एक अच्छी नीति पूरे राष्ट्र के लिए बनानी चाहिए। अगर कोआपरेटिव बेसिस पर कहीं पर इंडस्ट्री अच्छे ढंग से चल रही है और दूसरे लोग ठीक ढंग से इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं और वहां किसानों को गन्ने का सही भाव नहीं मिल रहा है और मजदूरों को उन की मजदूरी नहीं मिल रही है तो, वहां के मजदूर लोग या दूसरे लोग कोआपरेटिव बेसिस पर अगर मिल को चलाने के लिए तैयार हैं तो पहला प्रिफेन्स उन को देना चाहिए।

मैंने जो बातें मंत्री महोदय के सामने रखी हैं वे इस के बारे में सोचेंगे ऐसा विश्वास कर के, मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने पहली बार मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है और मेरा समय केवल पांच मिनट है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुछ प्वाइन्ट्स की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर भारत का जो शूगर मिलों का अर्थ तंत्र है, उसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इस गन्ने के ऊपर नकदी फ़सल के रूप में विशेष रूप से लोग निर्भर करते हैं। इसलिए जब आप इस पर विचार करने लगें, तो इस बात को ध्यान में रख कर विचार करें। उत्तर भारत में जो शूगर फैक्ट्रियां हैं, इन में दुनिया भर का बखेड़ा और इन को सुधारने का अगर ठीक ढंग से प्रयत्न नहीं किया गया तो उत्तर भारत की अर्थ व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उत्तर भारत की जो शूगर फैक्ट्रियां हैं वे अधिकांश 1930 और 1940 के दशक के बीच में लगी थीं और अब टैक्नोलोजी कहीं से कहीं एडवान्स हो कर चली गई है। जिन फैक्ट्रियों का टेक-ओवर हो रहा है उन में सरकार का सारा का सारा पैसा डम्प हो रहा है और जितना उचित उपयोग उस का होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे गोरखपुर में सिसवा बाजार की एक शूगर फैक्ट्री है। उस के मालिक ने उस फैक्टरी को इस हालत में पहुंचा दिया कि जब सरकार ने उस को टेक-ओवर करने का प्रयास किया, तब तो उसने कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में मुकदमेबाजी में सरकार को उलझा दिया। वहां के किसानों का दो करोड़ 32 लाख रुपया जो बकाया था वह पैसा सरकार ने दिया है लेकिन उस फैक्ट्री के इस साल भी चलने की कोई संभावना नहीं है। यह मैंने एक उदाहरण आपको दिया है। इस तरह के मिलों के आपको सैंकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें सरकार का बहुत-सा रुपया नष्ट हो रहा है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब टेक-ओवर किया जाए तो उन फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण भी किया जाए। जितनी फैक्ट्रियां सरकार ने ली हुई हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए भी कुछ पैसा रखा जाए और हर साल दो-दो या अधिक फैक्ट्रियों को नई मशीनें लगा कर नये ढंग से शुरू किया जाए। इसी तरह से बाकी फैक्ट्रियों का भी हर साल आधुनिकीकरण किया जाता रहे। इस तरह से जो सरकार का पैसा उनमें लगता है उससे श्रमिकों व गन्ना-किसानों का उद्धार हो सकता है।

महोदय, मैं एक प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में चार तरह की शूगर फैक्ट्रियां चल रही हैं — एक प्राइवेट सेक्टर में, दूसरी कोआपरेटिव सेक्टर में, तीसरी स्टेट सेक्टर में और चौथी सेन्ट्रल सेक्टर में। मैं चाहूंगा कि इन सेक्टरों की संख्या में कमी की जाए। जो फैक्ट्रियां स्टेट सेक्टर और सेन्ट्रल सेक्टर में चल रही हैं और वे अपनी अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाये हुई हैं उनको एक सेक्टर में ही, चाहे वह स्टेट सेक्टर हो या चाहे वह सेन्ट्रल सेक्टर हो चलाया जाए। इस प्रकार से उनमें दोहरी व्यवस्था होने के कारण जो घाटा चल रहा है वह कम होगा। यह मेरा सुझाव है।

माननीय मंत्री जी को मेरा यह भी सुझाव है कि जब शूगर फैक्ट्री को लिया जाए, उस वक्त मजदूरों का जो देना-पावना होता है उसको देने की भी व्यवस्था की जाए। हमें इससे मतलब नहीं है कि वह मालिकों को देना है या आपको देना है, मजदूरों को तो इस बात से मतलब है कि उनका बकाया उनको मिले। हमारे उत्तर प्रदेश में दो फैक्ट्रियां — सिसवा बाजार और घुगली — ऐसी हैं जिनको कि मजदूरों का लाखों रुपया ग्रैच्युटी और प्रोविडेंट फंड के रूप में बकाया है। मालिकों की बद-इंतजामी की वजह से मजदूरों को फल भुगतना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि प्रोविडेंट फंड का

जो पैसा मजदूरों का मालिकों के पास जमा रहता है, वह पैसा मजदूरों को मिल जाए ऐसी कोई व्यवस्था फैक्ट्रियों को अपने हाथ में लेते समय हो जाए जिससे कि मजदूरों को यह महसूस हो कि सरकार के द्वारा फैक्ट्री हाथ में लेने पर उन्हें राहत मिल रही है। सरकार को मजदूरों की ग्रैच्युटी, प्रोविडेंट फंड, वेजिज़ आदि की बकाया राशि को दिलवाने की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। इससे मजदूरों की तकलीफें दूर हो जाएंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पूसापति आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक के सम्बंध में दो बातें कहना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोबिली में एक चीनी का कारखाना है जो पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है। निज़ाम शूगर फैक्ट्री द्वारा इसे अपने हाथ में लेने के बाद इस उपक्रम के कार्यकरण में कुछ सुधार हुआ और इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनकी खराब आर्थिक अवस्था और बढ़ते हुए घाटे को ध्यान में रखते हुए सभी चीनी उपक्रमों को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था में काफी सुधार लाना चाहती है। सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है जिससे कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इसलिए इस कारखाने को भी अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है क्योंकि इस का प्रबंध बहुत खराब ढंग से किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपया इस पर विचार करें और मैं उन्हें इस मामले में और अधिक जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

दूसरी बात जो मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग आज एक समस्याग्रस्त उद्योग है। आप देखेंगे कि मूल्य अलाभकारी हैं। इसके बावजूद नगरीय क्षेत्रों में कुछ राज्य सहायता देनी पड़ती है। अतः एक यही तरीका रह जाता है कि चीनी के उप-उत्पादों का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि चीनी का मूल्यांनिर्धारण अधिक तर्कसंगत हो जाए। इसके अतिरिक्त चीनी के निर्यात से हमें अधिक लाभ नहीं होने का क्योंकि अंतर राष्ट्रीय बाजार मूल्य काफी कम हैं। इस प्रकार चीनी कारखानों की खराब आर्थिक स्थिति, अंतराष्ट्रीय बाजार मूल्य तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी उद्योग बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देता है और अनेक परिवार चीनी उद्योग पर निर्भर हैं, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन कारखानों को वैज्ञानिक आधार पर चलाने के लिए इन्हें अपने हाथ में लेने के बारे में विचार करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मुरलीधर माने (नासिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। महाराष्ट्र में शूगर फैक्ट्रीज जो कोआपरेटिव सेक्टर में हैं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो शूगर फैक्ट्रीज ठीक काम नहीं कर रही हैं, उनको भी कोआपरेटिव सेक्टर में लिया जाना चाहिए। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शूगर फैक्ट्रीज का जो स्टाक था, उसको जब तोला गया तो वह कम निकला, जिसकी वजह से किसानों को शूगर केन की कीमत भी कम दी गई। इसकी वजह से किसानों ने गन्ने का क्षेत्र कम कर दिया और फैक्ट्रियों को गन्ना कम मिलने लगा। इसकी वजह से फैक्ट्रीज लास में जा रही हैं।

गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर पानी की पूरी सुविधाएं दी जाएं तो गन्ने का उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है। किसानों को लगने वाले फर्टीलाइजर की कीमतें कम कर देनी चाहिए। इसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचा जाना चाहिए।

इसके अलावा शूगर फैक्ट्रीज को बफर स्टाक रखने के लिए कहा गया था। बहुत सी फैक्ट्रीज ने यह बफर स्टाक बनाया, लेकिन उसके तहत जो इंश्योरेंस क्लेम, सबसिडी उनको मिलना चाहिए वह अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। उसको अगर तुरंत रिलीज कर दिया जाए तो शूगर फैक्ट्री मैनेजमेंट को उससे सहायता मिल सकती है और फाइनेंशियली वे ऊपर आ सकते हैं। इसलिए इस कार्य को जल्दी करने की आवश्यकता है।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी सदस्यों और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सदन में प्रस्तुत किये गए इस सामान्य संशोधन विधेयक से सम्बंधित वाद-विवाद में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन सभी सदस्यों ने चीनी कारखानों के अधिग्रहण की अवधि को 6 वर्ष से 7 वर्ष करने के सम्बंध में इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। इस के साथ ही उन्होंने किसानों, श्रमिकों और कारखानों के सामने पेश आ रही समस्याओं का सामान्य रूप से उल्लेख किया है। यह एक सामान्य सा विधेयक है। हम ने संसद में मुख्य अधिनियम पारित होने के शीघ्र बाद 1978-79 में 8 कारखानों का अधिग्रहण किया था। इस संशोधन विधेयक का सीमित उद्देश्य यह है कि कुछ समय और लेकर यह विचार किया जाए कि सहकारी या निजी क्षेत्र के उन कारखानों को, जिनका सरकार पिछले छः वर्षों से अधिग्रहण करके प्रबंध करती आ रही है किस प्रकार से उनके मालिकों को, उनके प्रबंधकों को सौंपा जाए और साथ ही श्रमिकों और गन्ना उत्पादकों के हितों को भी सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा यदि सम्भव हो तो इन्हें फिर से रुग्ण होने से भी रोका जाए।

यह अधिनियम विभिन्न प्रकार से कारखानों के रुग्ण होने को रोकने का एक तरीका है। जैसाकि मेरे मित्रों ने बताया है, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इनमें से कई तरीके तो धोखाधड़ी के तरीके हैं। कई बार करों की चोरी की जाती है, और लेखाओं में हेरा-फेरी की जाती है तथा तुलन पत्रों में अवांछनीय तरीकों से हानियां दिखाई जाती हैं। इसके साथ ही कुछ पुराने कारखाने ऐसे भी हैं जो वास्तव में कठिनाई में हैं और हम नहीं चाहते कि उन क्षेत्रों के किसानों को, जो एकदम से अन्य प्रकार की फसलें बोना प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, कठिनाई हो। हम इस विधेयक द्वारा उद्योग, किसानों और श्रमिकों की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विपक्षी तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने अनेक कठिनाईयों की ओर ध्यान दिलाया है। मैं यह मानता हूं कि अस्थाई रूप से कारखानों का अधिग्रहण उन्हें कारगर बनाने के लिए कोई स्थायी उपचार नहीं है। अन्ततः सरकार की या तो राष्ट्रीयकरण के बारे में अथवा इन कारखानों को आधुनिक बनाने के लिए प्रबंधकों पर जोर डालने के बारे में सोचना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप प्रबंधकों को ही बदल दीजिए ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इस सदन में समय-समय पर राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया गया है । आज भी कुछ माननीय मित्रों ने सुझाव दिया है कि हमें चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए । एक माननीय सदस्य श्री माने ने सुझाव दिया है कि चीनी के लिए एक दीर्घकालिक नीति तैयार करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए । इस समय मैं यही कह सकता हूं कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात अन्य क्षेत्रों के उद्योगों की नीति से अलग नहीं की जा सकती है । हमें एक दृष्टिकोण बनाना है और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था—जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों होंगे—को चुना है । और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं यह कह सकूं कि यदि सरकार चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात सोचती भी है तो उससे समस्या हल हो जायेगी क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र का हमारा अनुभव कोई बहुत सुखद नहीं है । इसको सभी लोग स्वीकार करेंगे । अतः हमें उद्योग की जहां कहीं भी संभव हो सहायता करनी है और यही हम कर रहे हैं ।

जहां तक चीनी उद्योग का संबंध है हम सहकारी कारखानों को प्राथमिकता दे रहे हैं । नयी मिलों को लाइसेंस देने के मामले में यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि यथासंभव सहकारी कारखानों के लिए ही लाइसेंस दिये जायें । यदि किसी क्षेत्र में गन्ना काफी पैदा किया जाता है और सहकारी समितियां स्थापित नहीं की गई हैं अथवा सरकारी क्षेत्र का कारखाना सहायता नहीं करता तो हम निजी क्षेत्र के कारखानों को लाइसेंस देने के लिए सहमत होते हैं ।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि सहकारी क्षेत्र में चीनी उत्पादन के मामले में काफी अच्छा काम हुआ है । देश में चीनी उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक सहकारी क्षेत्र के कारखानों में होता है । थोड़ी देर पहले हमने महाराष्ट्र के एक माननीय सदस्य को राष्ट्रीयकरण के बारे में बोलते हुये सुना, जब कि एक अन्य सदस्य इसका विरोध कर रहे थे और वह भी महाराष्ट्र से ही थे । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन दोनों दृष्टिकोणों में कैसे समन्वय स्थापित करूं । हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले । हम यह भी मानते हैं कि चीनी के बारे में एक दीर्घकालिक नीति होनी चाहिए ।

श्री भैरावदन के० गढवी (बनास कांठा) : हम यह भी नहीं चाहते कि इन कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो ।

राव वीरेन्द्र सिंह : कई बार यह आवश्यक हो जाता है । महोदय, चीनी उत्पादन में वर्ष प्रतिवर्ष अत्यधिक घटबढ़ के कारण काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं । विगत वर्षों में कई वर्षों तक हमारे यहां चीनी की कमी रही है और कई बार बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ है । जनता शासन के बाद चीनी का उत्पादन 64 लाख टन से कम होकर केवल 38 लाख टन रह गया था । दो वर्षों के भीतर ही किसानों को लाभकारी मूल्य देने और उद्योग को आधुनिक बनाने में सहायता करने संबंधी नीति के कारण 1981-82 में चीनी उत्पादन

बढ़कर 84 लाख टन हो गया । यह मात्रा विश्व के किसी भी देश में चीनी उत्पादन की सर्वाधिक मात्रा थी । उसके अगले वर्ष भी चीनी का उत्पादन 82 लाख टन था किन्तु पुनः एक वर्ष में यह घट कर 59 लाख टन रह गया । इस वर्ष हमें आशा है कि यह 65 से 70 लाख टन के बीच होगा । मैं इस समय किसी निश्चित मात्रा का वचन नहीं देता, क्योंकि अभी चीनी उत्पादन का मौसम चालू है । 7 जनवरी तक, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुये उत्पादन के अतिरिक्त 2 लाख टन चीनी का उत्पादन अधिक हुआ । यह प्रवृति अच्छी है ।

सदस्यों ने शिकायत की है कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं । उन्होंने चालू वर्ष में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा स्वीकृत 'सांविधिक न्यूनतम मूल्य' को ध्यान में रख कर दिये जाने वाले 14 रुपये की दर का उल्लेख किया है । पिछले वर्ष इससे थोड़ा हट कर मूल्य दिये गये किन्तु गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाला यह मूल्य 14 रुपये नहीं है । यह तो कारखानों के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण की दर से संबद्ध है । 65 प्रतिशत चीनी सरकार द्वारा लेवी चीनी के रूप में ले ली जाती है और मूल्य निर्धारण में इसकी अपनी भूमिका है । इस 65 प्रतिशत लेवी चीनी को चार रुपये की निर्धारित दर से उचित दर दुकानों से बेचा जाता है । 35 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेची जाती है । हम प्रति मास चीनी जारी करके खुले बाजार में भी मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि यह प्रतीत होने पर कि मूल्य बढ़ रहे हैं हम और अधिक चीनी जारी कर देते हैं । हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लेवी चीनी, जिसे उचित दर दुकानों से बेचा जाता है, के मूल्यों और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में बहुत ज्यादा अंतर न हो । पिछले कुछ दिनों में भंडार को सीमित करने और कारखानों से चीनी बेहतर ढंग से जारी करने तथा भंडारकर्ताओं द्वारा चीनी बेचने पर, राज्य सरकारों के माध्यम से उचित-दर-दुकानों पर बेहतर निगरानी रखने, जिसके बारे में मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है और मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि सरकार के निर्णयों को लागू किया जाये—के बारे में जो कदम उठाये गये उनके अच्छे परिणाम निकले हैं और मूल्य बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि उनमें थोड़ी कमी आई है । हम यह भी प्रयत्न करते हैं कि खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य एक समुचित दर तक बने रहें ।

चीनी उद्योग की वास्तविक समस्या यह है कि रुग्ण होने वाले अधिकांश कारखाने पुराने हो चुके हैं । जब तक उन्हें आधुनिक नहीं बनाया जाता तब तक मालिकों के लिये उन्हें चलाना लाभकारी नहीं होगा । इसके लिये हम वित्तीय सहायता देते हैं । हमने एक चीनी विकास निधि बनाई हुई है । दुर्भाग्यवश कारखानों ने इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया है । कई बार शायद वह जानबूझकर — जब वह यह देखते हैं कि उन्हें अधिक-लाभ नहीं होगा—कारखानों को रुग्ण होने देते हैं । मैं उस से सहमत नहीं हूं कि चीनी उद्योग लाभ नहीं कमा रहा है और यह कि सभी कारखाने घाटे में चल रहे हैं । यदि ऐसा होता तो प्रतिदिन लोग नये लाइसेंस लेने के लिये उन क्षेत्रों से भी जहां पहले चीनी कारखाने लगे हुए हैं दौड़ते न आते । लोग अधिक से अधिक कारखाने खोलना चाहते हैं । यदि उनसे लाभ न होता तो लगभग पूरे देश से लोग नये लाइसेंस के लिए आवेदन क्यों देते और ये आवेदन सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों से ही नये कारखाने लगाने और वर्तमान कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिये प्राप्त

हो रहे हैं । यदि वे क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि उन्हें लाभ हो रहा है और वे क्षमता बढ़ाकर और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं क्योंकि बड़ा कारखाना चलाना अधिक किफायती होता है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह अत्यावश्यक है कि हम इन कारखानों की आर्थिक स्थिति की बारीकी से जांच करें।

प्रो० एन०जी० रंगा : आयोग के बारे में आपकी क्या राय है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरे विचार में आयोग से कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि इस संसद ने सरकार को काफी शक्तियां दी हुई हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं कि लेखाओं को सही ढंग से रखा जाये तथा कारखाने यथासंभव शीघ्र अपने यंत्रों का आधुनिकीकरण करें।

कुछ सदस्यों ने कुछ ऐसी जानकारी मांगी है जो इस अवसर पर ज्यादा संगत नहीं है । श्री मूलचंद डागा यह जानना चाहते थ कि प्रत्येक कारखाने में क्या मजदूरी मिलती है और प्रत्येक कारखाना कितना बोनस दे रहा है । इस समय मैं यही कह सकता हूं कि मजदूरी विभिन्न राज्यों में लागू अधिनियमों के अनुसार दी जाती है । बोनस भी नियमों के अनुसार दिया जाता है । यदि कारखाने लाभ नहीं कमा रहे होते तो वे न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस देते हैं किन्तु पिछले वर्षों में जब इन आठ कारखानों में से कुछ कारखाने लाभ कमा रहे थे तो बोनस नियमों के अनुसार अधिक दिया गया । मुझे आशा है कि श्री डागा इससे संतुष्ट हो जायेंगे किन्तु यह तथ्य है कि इस समय जिनका अधिग्रहण किया जा चुका है, ये आठ कारखाने, घाटे में चल रहे हैं । राष्ट्रीयकरण की भी मांग की गई है । जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है केन्द्र सरकार के लिये यह सम्भव अथवा व्यावहारिक नहीं है कि वह देश के विभिन्न भागों में कारखानों का अधिग्रहण करे और दिल्ली से उनका संचालन करे तथा उनका कुशलतापूर्वक प्रबंध करे, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वह कोई उद्योग हो या कृषि हो अथवा कोई अन्य व्यापार हो, जब तक सम्बद्ध लोग मौके पर कार्य की निगरानी के लिए उपस्थित नहीं होंगे तब तक किसी व्यापार या कारखाने को लाभकारी ढंग से चलाना हमेशा सम्भव नहीं होता है । हमें इन कारखानों का अधिग्रहण करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े जिससे कि गन्ना उत्पादकों और श्रमिकों को देय बकाया राशि का भुगतान किया जा सके और मुझे खुशी है कि इन कारखानों में पिछले वर्षों के दौरान देय बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है । आशा है कि चालू मौसम के दौरान देय राशि का भी भुगतान कर दिया जायेगा । अभी मौसम चालू है । पिछले वर्षों का कुछ बकाया नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य पूरे देश में इस समय कुल बकाया राशि जानना चाहते थे । इस समय हमारा संबंध समस्त 339 मिलों से नहीं है, हम सिर्फ अधिग्रहण की गई आठ मिलों की बात कर रहे हैं । लेकिन जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि पिछले वर्ष पूरे देश की बकाया राशि कम होकर लगभग 14 करोड़ रुपये आ गई थी । यह बकाया राशि गन्ने की भुगतान की गई कुल राशि का केवल 1.3 प्रतिशत थी, जो पिछली अवधियों के मुकाबले बहुत अधिक प्रतिशत नहीं है । सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि बकाया राशि एकत्र न हो । लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस मामले में राज्य सरकारें पहल करें ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि कुछ रुग्ण मिलों, जैसे आन्ध्र में चेलापल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की कुछ मिलों का अधिग्रहण कर लिया जाए । हम यह नहीं चाहते कि राज्य सरकारों को इस विषय पर जिम्मेदारी से पूर्ण छुटकारा दिलाया जाये । राज्य सरकारों को भी मिलों के अधिग्रहण की शक्ति प्राप्त है । राज्य सरकारें अस्थाई तौर पर उनका अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर सकती हैं । उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने कई मिलों का अधिग्रहण किया है । कुछ राज्यों में निगमों की स्थापना की गई हैं । राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की लिये पहले कदम उठाने चाहिये कि उनके अपने-अपने सज्य में चीनी उद्योग का प्रबन्ध उचित प्रकार से हो ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : कानपुर शूगर वकर्स लिमिटेड में 48 परसेंट आपका शेयर है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : शेयर नहीं है, रुपया एडवांस होगा और वह रुपया रिकवर हो जायेगा ।

[अनुवाद]

जैसा कि मैंने पहले कहा है केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि राज्य सरकारें इसमें पहले शुरुआत करें । अगर राज्य सरकारें रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करना चाहती हैं तो हम उनकी मदद करेंगे । हम नहीं चाहते कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाए । यही कारण है कि हमने जो 8 मिलें अधिग्रहण की हैं उनको भी वापिस करने पर हम विचार कर रहे हैं । हम इतनी मिलों का अधिग्रहण करने के अधिक इच्छुक नहीं हैं जितनी मिलों का माननीय सदस्य सुझाव दें । माननीय सदस्यों को पहले अपनी राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारें अच्छी प्रकार से देखभाल कर सकती हैं क्योंकि उनकी वहां मौजूदगी होती है । उनको भी सारे अधिकार प्राप्त हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : आपने कहा, लोन दिया गया है । लोन तो गन्ने के दाम के लिये दिया गया है, आपका 48 परसेंट शेयर उसमें है ।

[अनुवाद]

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं स्थिति का पता लगाऊंगा । संभवतया उसमें कुछ कपड़े के एकक भी हैं ।

एक माननीय सदस्य : केवल गन्ने के यूनिट्स हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को बाद में इसकी जानकारी दे दूंगा ।

लेकिन, जैसा मैंने कहा है इस समय ये सब बातें अत्यन्त संगत नहीं है । फिर भी, चीनी उद्योग के समक्ष जो कुछ समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : कृपया इसकी राज्य सरकारों को भी सूचना दें ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह कर दूंगा ।

हम लाभप्रद मूल्य देने की कोशिश करते हैं । जैसा कि मैं पहले बता रहा था, 14 रुपये वह मूल्य नहीं है जो गन्ना उत्पादकों को दिया गया । इस समय उनको गन्ने के लिए औसतन 21 रुपये मिल रहा है, कुछ राज्य सरकारें थोड़ा अधिक या कुछ थोड़ा कम भी दे रहीं हैं । ये मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न कि केन्द्र सरकार द्वारा । केन्द्र सरकार केवल कानून बनाकर गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है ।

यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का कार्य है कि बकाया राशि इकठ्ठी न होने दी जाये । उनको दोषी मिलों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी । राज्य सरकारें केवल उन मामलों की सूचना केन्द्र सरकार को दें जो उनकी शक्ति के बाहर हों । राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मिलों द्वारा 14 दिन के बाद बकाया राशि पर ब्याज भी दिया गया है । इसके लिए कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा शुरु की जानी चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा नहीं ।

चूंकि माननीय सदस्यों ने पहले कहा है कि सरकार के पास यह शक्तियां होनी चाहिएं मैं आशा करता हूं कि सदन इसकी सर्वसम्मति से समर्थन देगा । अगर भविष्य में किसी मिल के अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ती है और कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है तब भी इस अधिनियम में हमें शक्तियां प्राप्त हैं और हम उनको लागू रखेंगे । अब 6 वर्ष के स्थान पर यह 7 वर्ष के लिये होगा । अगर भविष्य में किसी मिल के अधिग्रहण की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की गई तो हम उसका अधिग्रहण कर लेंगे . . . . . .

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव : महोदय, मैंने एक संशोधन का नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इसको नहीं ला सकते । मंत्री महोदय ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं । महाराष्ट्र के चीनी कारखानों ने बफर स्टाक के लिए राजसहायता राशि तथा बीमा राशि के लिये दावे किये हैं लेकिन उन्हें इन दावों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप मुझे लिखें और मैं आपको जवाब दे दूंगा ।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव : महोदय, मैंने पहले से ही एक संशोधन दे रखा है । यह संशोधन 26 तारीख को दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं । अब इसका कोई प्रश्न नहीं है । कृपया बैठ जाइये ।

प्रश्न यह है :

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "पैंतीसवें" के स्थान पर "छत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

(राव वीरेन्द्र सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक , संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक , संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं ।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैंने संशोधन का नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे पहले ही पूरा कर चुके हैं । उसकी अनुमति नहीं है ।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव : जब यह अधिनियम के उपबंधों की परिधि में है, तो इसकी स्वीकृति कैसे दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हू ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने अगली मद पर विचार करना शुरू कर दिया है । इसलिए, इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । कृपया बैठ जाइए ।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव : मैं आपसे कुछ अनुरोध करने का प्रयास कर रहा था परन्तु आपने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी ।

एक माननीय सदस्य : मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए । तीसरे वाचन के दौरान यदि माननीय सदस्य संक्षिप्त भाषण देना चाहते हैं तो इन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि इसका तीसरा वाचन है, इसलिए उसे इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस विधेयक पर पहले बोल चुके हैं । उन्हें इसलिये अनुमति नहीं दी गई क्योंकि यह विधेयक की परिधि से बाहर है ।

एक माननीय सदस्य : लेकिन वे इस विधेयक पर बोलना चाहते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन की अनुमति नहीं दी गई थी । इसलिए उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव : मेरा प्रश्न अलग है । मैंने मूल विधेयक देखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग सारी कार्यवाही पूरी हो गई है और मैंने निर्धारित समय से एक घंटा अधिक दिया है और इस विधेयक पर सभी सदस्य काफी बोल चुके हैं । अब इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव : जब यह अधिनियम की परिधि में हो तो आप इसे कैसे मना कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब अधिनियम पर कोई चर्चा नहीं होगी । अब हमने अगली मद शुरू कर दी है ।

12.55 म० प०

गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :

"गंगटोक नगर निगम अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

गंगटोक नगर निगम अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अनुसार, सिक्किम सरकार द्वारा नगर निगम में पहले पार्षद निगम की पहली बैठक की तारीख 18-12-1975 से चार वर्षों की अवधि के लिये मनोनीत किये गये थे । उनका कार्यकाल 17 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हो गया था उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन, यदि नये पार्षद निर्वाचित नहीं किये जाते तो राज्य सरकार को निगम के लिये प्रशासक चार वर्ष की अवधि तक अथवा निगम का पुनर्गठन होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करने की शक्ति है । तद्नुसार राज्य सरकार ने उप-धारा (5) के अधीन पूरे पांच वर्ष की जो अवधि, 17 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हो गई, के लिये प्रशासक की नियुक्ति की थी ।

25 मई, 1984 को, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एक उद्घोषणा जारी की जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी कार्य तथा राज्य में निहित अथवा उनको दी गई सभी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं । यह भी घोषणा की गई कि राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा । एक अन्य आदेश द्वारा राष्ट्रपति जी ने यह निदेश दिया कि सिक्किम राज्य सरकार के सभी कार्य तथा संविधान के अंतर्गत या उस राज्य में प्रवृत्त किसी कानून के अधीन उस राज्य के राज्यपाल को दी गई अथवा उसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियां जिन्हें उक्त उद्घोषणा के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने अपने हाथ में ले लिया है, जो राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के अध्यधीन हैं, उनका प्रयोग भी उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा ।

सिक्किम सरकार ने दिसम्बर, 1984 में सूचित किया कि 17 दिसम्बर, 1984 से पहले निगम के पुनर्गठन के लिये चुनाव करवाना सम्भव नहीं है और राज्य सरकार के पास राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाने के कोई और विकल्प नहीं है । अतः, यह प्रस्ताव किया गया कि एक अध्यादेश प्रख्यापित करके गंगटोक नगर निगम अधिनियम, 1975 में संशोधन करके राज्य सरकार को निगम प्रशासक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की शक्ति दी जाए । उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रपति के पूर्वानुदेशों के अनुसार राज्यपाल द्वारा 17 दिसम्बर, 1984 को गंगटोक नगर

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1984 प्रख्यापित किया गया था जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को प्रशासक की नियुक्ति की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने की बजाए सरकार को एक बार में प्रशासक की नियुक्ति की अवधि एक वर्ष पर दो वर्ष से अधिक न बढ़ाने की शक्ति दी गई थी। अन्य शब्दों में, राज्य सरकार प्रशासक की नियुक्ति कुल छह वर्ष की अवधि के लिए कर सकती थी जो अवधि इस मामले में 17 दिसम्बर, 1985 को समाप्त होगी।

अब यह प्रस्ताव किया गया है कि गंगटोक नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 1984, का स्थान संसद द्वारा बनाये जाने वाला एक विधेयक ले ले। विधेयक में संशोधन करने वाले प्रावधान वही है जो अध्यादेश में हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गंगटोक नगर निगम अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। सभा 2 बजे अपराह्न पुनः समवेत होगी।

12.59 म०प०

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है और इस पर बोले हैं।

अब मैं श्री आनन्द पाठक जी से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि विधेयक की परिधि गंगटोक नगर निगम के प्रशासक की नियुक्ति की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने तक सीमित लगती है तथापि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे विधान सभा, नगर पालिका तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के प्रति सरकार का अलोकतांत्रिक दृष्टिकोण दर्शाता है।

गंगटोक एक छोटा परन्तु सुन्दर नगर है। यहां हर वर्ष हजारों यात्री और पर्यटक आते हैं। इसलिए, यहां बेहतर प्रशासन, नगर को सुन्दर बनाने और आवश्यक सुविधाओं की जरुरत है। ये सब बातें एक चुने हुए पार्षदों की संस्था के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन गंगटोक नगर निगम के पार्षदों का चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ। नगर निगम का चुनाव करवाने की बजाय, केन्द्र सरकार ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकार जिसका मुख्य मंत्री कांग्रेस (इ) दल का ही नेता था, को अलोकतांत्रिक ढंग से भंग कर दिया।

इस सरकार को क्यों उखाड़ फैंका गया ? क्योंकि मुख्य मन्त्री ने सिक्किम के लोगों की काफी समय से चली आ रही कुछ मांगों को उठाया था जो कांग्रेस (इ) दल तथा केन्द्र सरकार को पसन्द नहीं आया।

अब विधान सभा के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। यह सब ठीक है। मुझे इस पर प्रसन्नता हुई है। लेकिन सिक्किम के लोगों के कुछ ज्वलंत समस्याओं का समाधान किये बिना चुनाव कैसे निष्पक्ष तथा लोकतांत्रिक हो सकते हैं ? वहां की जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं (1) राज्य विधान सभा में सीटों के आरक्षण की समस्या का समाधान (2) सिक्किम में रहे हजारों निवासियों को नागरिकता तथा मतदान का अधिकार देना और (3) नेपाली भाषा को संविधानिक मान्यता प्रदान करना तथा इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना।

सिक्किम भारत का नया तथा सबसे छोटा राज्य है। यह अभी राष्ट्रीय धारा में मिल रहा है। इस लिए इसे उचित पोषण तथा सहायता की जरुरत है। इस राज्य से संबंधित किसी मामले पर निर्णय लेने से पहले हमें विशिष्टिता तथा भावनाओं को सदैव ध्यान में रखना पड़ेगा। यह एक संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में स्थित है। इस लिए सिक्किम के लोगों के लोकतांत्रिक आग्रह तथा आकांक्षाओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि विधान सभा के चुनाव होने से पहले उनकी लम्बे समय से चली आ रही उपर्युक्त मांगों पर विचार किया जाये और गंगटोक नगर निगम का चुनाव यथाशीघ्र करवाया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिद्धान्त को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आप नगरपालिकाओं और म्युनिसिपल कारपोरेशन में अपने प्रशासक बैठा दें। पार्लियामेंट और एसेम्बलीज में जिस प्रकार चुनाव होते हैं, उसी प्रकार यहां भी होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन्स में एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने की पद्धति को आप खत्म करिए। आज हिन्दुस्तान बिल्कुल नया मोड़, नई बातें लेकर आ रहा है और कल एन्टी-डिफैक्शन बिल भी प्रस्तुत होने वाला है। हम नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दें।

आपने अपने वक्तव्य में बताया कि गंगटोक म्युनिसिपल कारपोरेशन की हालत क्या है। मैंने बिल मांगा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। आपने बताया कि वहां पांच साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी संसद इस बात का समर्थन नहीं करेगी कि लोकतन्त्रीय इकाइयों पर प्रशासक लोग राज करें। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम इस रवैये को बिल्कुल बर्दाशत नहीं कर सकते हैं। आज जहां-जहां प्रशासक बैठे हैं, वे सारी आमदनी खुद ही हड़प जाते हैं और हड़प कर मोटे होते जाते हैं। मैं अपने शहर की बात कहता हूं। पाली म्युनिसिपल कारपोरेशन में आठ साल से एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसकी वजह से हमें पूरे सिविल अधिकार नहीं मिल पाते हैं।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : पोपुलर गवर्नमेन्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : बेशक पोपुलर गवर्नमेंट है, लेकिन लोकतन्त्र लोकतन्त्रीय इकाइयों पर टिका हुआ है। जो पब्लिक इन्स्टीचुशन्स, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत हैं.. (**व्यवधान**)

मैं मन्त्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वे स्टेट मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी बिहार के मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं और वे जानते हैं कि भारत में कहां कहां कितने म्युनिसिपल कारपोरेशन्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे गए हैं और कब से रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में हैं, कर्नाटक में हैं, दिल्ली में है.. (**व्यवधान**) यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। लोकतन्त्र में लोगों के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित करने का कौन दोषी है ? आप लोकतन्त्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं लेकिन आप ही यहां पर बिल लेकर आ गए कि वहां पर कोई पापुलर गवर्नमेंट नहीं है इस लिए एक साल का टाइम और बढ़ा दिया जाए।

श्री अब्दुल गफूर : प्रेसीडेन्ट रूल हो जाने की वजह से हमारी जिम्मेदारी है वरना हमारी कोई जिम्मदारी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि कानून में परिवर्तन किया जाए क्योंकि यह जो लोकल बाडीज, नगर-पालिकायें हैं वह हमारे लोकतन्त्र की बुनियाद हैं। इन्हीं इकाईयों पर सारा लोकतंत्र खड़ा होता है। लेकिन आप लोकल बाडीज में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देते हैं और पांच साल के बाद एक साल और बढ़ाने के लिए बिल यहां पर ले आए। कलकत्ते में भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रिंसिपल का सवाल है और जब तक आप इसको सही रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप सिद्धान्त बनाइये कि म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कारपोरेशन्स—सभी जगहों पर उसी तरह से चुनाव होंगे जैसेकि विधान सभाओं के लिए होते हैं और चुनाव कराने की पावर्स एलेक्शन कमिश्नर को दे दी जायें। यह चुनाव आप अपने पास मत रखिये और एलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट को दे दीजिए ताकि चुनाव समय पर हो जाएं। हम नहीं चाहते कि चुनाव की पद्धति समाप्त हो जाए। कभी मुख्य मन्त्री राजी नहीं है, कभी लोकल बाडीज के मिनिस्टर राजी नहीं हैं और कभी कोई और राजी नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपका मन इसको पाइलट करने का नहीं था लेकिन आपने मजबूर हो कर इसको पेश किया है और अब आप इसको पारित करवाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि सरकार एक कानून पास करे कि जहां तक स्थानीय निकायों का संबंध है उनमें कोई प्रशासक नहीं होना चाहिए, उन पर चुने हुए व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिए।

[हिन्दी]

अब आप इस बिल को लेकर आ गये हैं। इस लिए मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन्स में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहना चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता हैं—श्री गिरधारीलाल व्यास।

अब संसदीय कार्य मन्त्री एक घोषणा करेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): संविधान (संशोधन) विधेयक पर सभा द्वारा आज विचार किया जाना था । प्रधान मन्त्री की विरोधी दलों के साथ एक बैठक थी और विचार विमर्श के परिणामस्वरूप यह सहमति हुई है कि विधेयक कल लिया जायेगा, आज नहीं । इस लिए आज हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक पर विचार करेंगे । संविधान (संशोधन) विधेयक पर कल विचार किया जायेगा । इसके लिए, मैं सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान (संशोधन) विधेयक पर कल विचार किया जाएगा, आज नहीं । मुझे आशा है कि सभा इसके लिए सहमत होगी

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : दल-बदल के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह विधेयक इसी सत्र में ही पारित किया जायेगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का इरादा इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करने का है । यह बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा । इस विधेयक पर कल विचार किया जायेगा ।

श्री सुद्दिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : इस विधेयक को शीघ्र पारित करने के लिए हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं । इस संदर्भ में मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । इस विधेयक को कल लिया जाये, पर इस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाये । इस पर परसों भी चर्चा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया है । कल पूरे दिन इस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री व्यास ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक सदन में प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

यह जो विधेयक है, इसके एम्स एण्ड ओबजेक्टस में यह कहा गया है कि गंगटोक म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1975 के अन्तर्गत चार साल की अवधि के लिए मेम्बर्स को नामीनेट किया गया था और चार साल तक नामीनेटेड मेम्बरों ने काम किया । इसके बाद इसमें एक प्रावधान यह किया गया कि 4 साल के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया और उसके बाद उसने चार साल तक काम किया । फिर उसकी अवधि एक साल के लिए और बढ़ानी पड़ी । अब एक साल का और प्रावधान इसमें किया गया है । यह सारा इस स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस से मालूम पड़ता है कि किस तरह से इस म्युनिसिपल कारपोरेशन का निर्माण हुआ और किस तरह से वहां की व्यवस्था बराबर चलती आई ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और जैसाकि माननीय डागा साहब ने कहा, कि हमारे प्रजातंत्र में सबसे नीचे की इकाई म्युनिसिपैलिटी या पंचायत है । उनमें अगर हमारे चुने हुए लोग नहीं आते तो वहां का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है ।

इस बिल में जो प्रावधान किया गया और इससे पूर्व का जो बिल था उससे साफ झलकता है कि अभी तक इस कारपोरेशन की व्यवस्था सरकारीतंत्र के द्वारा की गई है । सरकारीतन्त्र द्वारा गंगटोक म्युनिसिपल कारपोरेशन के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि गंगटोक की तरक्की होती ।

जब किसी भी म्युनिसिपैलिटी में या कारपोरेशन में चुनींदा लोग नहीं होते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर के लोग होते हैं उनकी तंख्वाहों में ही जो कारपोरेशन आदि टेक्स वगैरह वसूल करती है उसका रुपया चला जाता है । सरकारी नौकर उस टैक्स वगैरह से न कोई सफाई, न पीने के पानी और न दूसरी चीजों की व्यवस्था करते हैं । इस लिए ऐसी संस्थाओं में चुनींदा लोगों के आने की बड़ी आवश्यकता है जिससे कि उस शहर, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके । आप देखें कि इस प्रकार की व्यवस्था आगे बढ़े ।

अब चूंकि वहां कोई चुनींदा सरकार नहीं है, इस लिए आपको ऐसी व्यवस्था करने के लिए यह बिल लाना पड़ा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । जो व्यवस्था अब तक वहां चली आ रही थी वह एक साल और बरकरार रहेगी, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन आपको यह देखना है कि जो व्यवधान अब तक विकास के कार्यों में आते रहे हैं वे आगे न आने पाएं । आपको निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी जितनी भी म्युनिसिपल कारपोरेशन हैं या पंचायत हैं या और भी पब्लिक बोडीज हैं उनका समय पर चुनाव हो और वे संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र के विकास में तेजी लाएं ।

यह ठीक है कि वहां पर इस वक्त कोई चुनींदा सरकार नहीं है इस लिए आप वहां पर इस संस्था के चुनाव नहीं करा पायेंगे । लेकिन इस तरह की व्यवस्था निरन्तर जारी नहीं रहनी चाहिए जिससे कि वहां के विकास में व्यवधान जारी रहे ।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सिक्किम गवर्नमेंट को गिराया गया और वहां प्रेजीडेंट रूल कायम किया गया । वह माननीय सदस्य यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां की सरकार ठीक तरह से नहीं चल रही थी । वहां की सरकार ने घपलेबाजी की थी इसी लिए वहां प्रेजीडेंट रूल कायम किया गया । अब वहां चुनाव होंगे और एक नई सरकार बनेगी । वह नई सरकार इस कारपोरेशन के सम्बन्ध में भी कोई ठीक व्यवस्था करेगी । नई सरकार से हमें इस प्रकार की पूरी आशा है कि वह इस कारपोरेशन के चुनाव भी जल्दी से जल्दी करा देगी ।

माननीय सदस्य यह कहने को तो तैयार हो गये कि वहां की चुनींदा सरकार को गिरा दिया गया और प्रेजीडेंट रूल कायम कर दिया गया । लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि वह सरकार अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहीं थी । क्या उस सरकार ने घपले नहीं किये, कोई इल्लेगिलिटी नहीं की ? वह एक बार्डर प्रान्त है और किसी बार्डर प्रांत में ऐसी सरकार बन जाती है जो कि गलत काम करती है जिससे कि देश को नुकसान होता है तो यह हमारे प्रेजीडेंट और हमारी सरकार का अधिकार है कि वहां पर वे प्रेजीडेंट रूल कायम करें जिससे कि उस क्षेत्र को मजबूत किया जा सके और अन्दर और बाहर के लोग हमारे देश को नुक्सान न पहुंचा सकें । ऐसी व्यवस्था को करने और नुक्सान पहुंचाने वाली कार्यवाहियों को रोकने का अधिकार निश्चित तरीके से केन्द्रीय सरकार को दिया गया है । हमारी सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया यह बहुत ही प्रशंसनीय है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा वह केवल दुर्भावना से और राजनीतिक उद्देश्य से कहा है । मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि उनका

जो काम है वह किसी तरीके से भी भारत सरकार को क्रिटिसाइज करने का है। वहां की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। आपके सामने कई बार इस बात को लाया गया है कि वैस्ट बंगाल की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए वह सरकार एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए। इसके संबंध में हम लोग बराबर कहते आए हैं कि वैस्ट बंगाल की सरकार जिस प्रकार से भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रही और जिस प्रकार से पैसों का दुरुपयोग करके ओवरड्राफ्ट कर रही है, उस अव्यवस्था को रोकने के लिए भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि जिस तरह से सिक्किम पर प्रेसीडेंट रूल कायम किया गया है, उसी प्रकार से वैस्ट बंगाल के ऊपर भी प्रेसीडेंट रूल लागू होना चाहिए, ताकि वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक तरह से चल सकें। इन लोगों को इस बात का ध्यान नहीं आता इस लिए ये लोग कहते हैं कि सिक्किम की सरकार को भंग करके ठीक नहीं किया गया है।

सिक्किम की सरकार को भंग करने के कई कारण हैं। उनके ऊपर कई चार्जेज लगाए गये थे और फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज भी थीं, गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसकी वजह से भारत सरकार ने यह एक्शन लिया। यह एक्शन लेना नितांत आवश्यक था। इसके बिना वहां की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकती थी। इस वजह से यह सारा एक्शन लिया गया।

इसके अलावा जो यूनिट्स हैं, उनके बारे में मेरा विचार भी यही है कि इन यूनिट्स का चुनाव निर्धारित समय में होना चाहिए ताकि वहां का विकास तेज गति से हो सके। क्योंकि यह अनुभव रहा है कि जिन प्रान्तों में म्युनिसपेलिटीज और पंचायतों का चुनाव समय पर नहीं होते हैं, वहां का विकास रुक जाता है। राजस्थान में 13 साल तक पंचायतों और म्युनिसपेलिटीज के चुनाव नहीं हुए, जिसकी वजह से वहां का विकास रुक गया था। ज्यों ही पंचायतों और म्युनिसपेलिटीज के चुनाव कराए गये त्यों ही डेवलपमेंट तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और वहां विकास हो रहा है। जहां-जहां स्लम्स हैं, उनको दूर किया जा रहा है, सड़कों को ठीक किया जा रहा है, जहां बिजली का अभाव है वहां बिजली पहुंचाई जा रही है, जहां सड़कों का अभाव है वहां सड़कें बनाई जा रही हैं, जो फैसिलिटीज पब्लिक को मिलनी चाहिए वे उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस लिए इस अनुभव को देखते हुए इन यूनिट्स का चुनाव नितांत आवश्यक है। इन चुनावों को कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन-जिन प्रान्तों में पंचायतों या म्युनिसपेलिटीज के चुनाव नहीं हुए हैं वहां-वहां चुनाव शीघ्र कराए जाने चाहिएं, ताकि उन प्रान्तों का विकास हो सके।

इसके अलावा इसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स में बताया गया है—

[अनुवाद]

"इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक की पदावधि 17 दिसम्बर, 1984 को समाप्त होनी थी। निगम का 17 दिसम्बर, 1984 से पहले पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं था, सिक्किम के राज्यपाल ने, राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश से, गंगटोक नगर निगम अधिनियम, 1975 का संशोधन करते हुए 17 दिसम्बर, 1984 को एक अध्यादेश राज्य सरकार को इस बात के लिए सशक्त करने के लिए प्रख्यापित किया था कि वह प्रशासक की नियुक्ति की अवधि को एक समय पर एक वर्ष की और अवधि तक, जो दो वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी, बढ़ा सके।"

[हिन्दी]

इस प्रावधान के तहत एडमिनिस्ट्रेटर अब 6 साल तक रह सकेगा । एक साल बढ़ाने का प्रावधान तो पहले ही था, अब इसके द्वारा एक साल और बढ़ा दिया गया है । वहां पर 6 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर के बैठने से निश्चित तरीके से वहां के विकास में रुकावट आएगी, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब सरकारी तन्त्र बैठ जाता है तो वह केवल नियमों के आधार पर काम करता है । नियमों की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से शहरों के विकास में बाधा पड़ती है । ब्यूरोक्रेसी को आप अधिकार दे रहे हैं, वे उचित नहीं है । ब्यूरोक्रेसी से हमारा सारा तन्त्र कमजोर होता है, जिन प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के जरिए से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें कमी आती है । इस कानून को हम स्वीकार करते हैं । इसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था अन्य कारपोरेशन्स में लागू न करें जिससे हमारे तन्त्र में कमजोरी न आए और हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहें । मुझे आशा है, हमारे माननीय मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से यह जो बिल आया है जिसमें आपने गंगटोक म्युनिसिपल कार्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद को एक साल बढ़ाने के लिए कहा है, इससे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं । मैं समझता हूं, हमारे यहां जो जम्हूरियत का तकाजा है, उसके मुताबिक यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम हर साल एडमिनिस्ट्रेटर्स की मियाद में इजाफा करते रहें और इस तरीके से पब्लिक पर ब्यूरोक्रेसी को मसल्लत कर दें । मैं समझता हूं, यह नेशन है और हमारे निजाम की नफी करता है । मैं यह बताए बिना नहीं रह सकता हूं कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन की अहमियत बहुत बढ़ गई है क्योंकि अब कार्पोरेशन बहुत हद तक आटोनोमस है । इसके अलावा शहरों में आबादी बहुत बढ़ गई है । श्रीनगर, जो काश्मीर की राजधानी है, पहले उसकी आबादी दो-ढ़ाई लाख थी । अब वहां सात लाख की आबादी हो गई है । इस तरीके से हमारे यहां जम्मू में तीन-चार लाख लोग रहते हैं । पूरे मुल्क के अन्दर शहर बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि गांवों की आबादी शहरों की तरफ आ रही है । शहरों में बहुत बड़ा निजाम बढ़ रहा है । आबादी बढ़ने की वजह से लोगों के मसायल बढ़े हैं । जो शहरों में बसते हैं, उनके मसायल बराहे-रास्त म्युनिसिपल कार्पोरेशन के साथ नत्थी हैं । इस लिए, वे हुकूमत की तरफ देखने की बजाए म्युनिसिपल कार्पोरेशन की ओर देख रहे हैं । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यूनान जैसे मुल्क में सिटी स्टेट्स का तसव्वर था । वहां शहर ही कंट्रीज थे हमारे शहरों की आबादी बढ़ चुकी है । आबादी बढ़ने के बाद कार्पोरेशन में तकरीबन वही मसायल हैं जो एक सरकार को पूरे मुल्क के लिए हल करने पड़ते हैं । छोटी सतह पर ट्रांसपोर्ट, सफाई, राशन, पानी और बिजली वगैरह के मसायल हैं । मैं समझता हूं कि वक्त का तकाजा है कि हालात इस कद्र बदल गए हैं कि हमें इस बात को तसलीम करना चाहिए कि कार्पोरेशन्स अब बहुत बड़ी अहमियत रखती है । कार्पोरेशन्स का रिप्रेजन्टेटिव करेक्टर होना चाहिए और लोगों की मर्जी तथा आवाम की मदद से ही कार्पोरेशन को बनाना चाहिए । मैं अपनी रियासत की ओर आपको ले जाना चाहता हूं । हमारी जो डा० फारूक अब्दुला की सरकार थी, उस वक्त म्युनिसिपल कमेटी और टाउन एरिया कमेटी का इन्तखाब हुआ । उसके बाद दल-बदल की सरकार बन गई जिसकी कोई मैजोरिटी भी नहीं है । वह हम पर मुसल्लत की गई है । उन्होंने फौरन ही म्युनिसिपल कमेटियों को तोड़ दिया मैं यह सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि लोग म्युनिसिपल काउन्सिल को इस उम्मीद

पर वोट नहीं देते कि म्युनिसिपल काउन्सिल पांच साल तक काम करेगी । जैसा कि पांच साल के लिए पार्लियामेंट या लोक सभा में हम लोगों को चुनकर भेजते हैं, उसी तरह रियासतों में असम्बलियों के लिए चुनते हैं, लेकिन वहां ज्यों ही नई सरकार आती है तो वह उन कार्पोरेशन्स या कौन्सिल को तोड़ देती है क्योंकि रियासतों की सरकारों को यह अख्त्यारात गैर जरूरी तौर पर हासिल हैं, मैं यहां सिर्फ अपनी रियासत की ही बात नहीं कर रहा हूं, सारे मुल्क में दूसरी रियासतों में भी ऐसा हो रहा है, सब जगह ऐसा हो रहा है कि ज्यों ही नई गवर्नमेंट बदली कि उसने अपनी मर्जी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर को अप्वाइंट कर लिया और लोगों पर बिठा दिया । उनके पास कार्पोरेशन्स या कौन्सिल को तोड़ने के अख्त्यारात हासिल हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा अख्त्यारात उनको मिले हुए हैं जो डैमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं पूरे मुल्क में । इस लिए मैं चाहूंगा कि जैसा यहां एक आनरेबल मैम्बर साहब ने कहा, आज जमाने का यह तकाजा है कि हम इस वक्त इलैक्शन कमीशन की निगरानी में इन इलैक्शन्स को करायें । जहां भी कार्पोरेशन्स या कौन्सिल के इलैक्शन हों, या जहां भी इस किस्म के निजाम कायम हैं, उनमें बराहे रास्त इलैक्शन कमीशन को आना चाहिए ताकि वोट की सैंक्टिटी को, तकद्दुस को कायम रखा जा सके । उसकी एक वजह यह भी है कि जो भी कौन्सिल या कार्पोरेशन कायम होगा, वह पांच साल के लिए चलेगा लेकिन वह उतनी देर तक रहता नहीं है । उसको बनाने में लोगों ने जिस उम्मीद से अपना वोट दिया है, वह लोगों की पांच साल तक खिदमत नहीं करता है । इस लिए हमारे मुल्क में जो इस किस्म की आथौरिटेरियन टैन्डैन्सी पैदा हो गई है, उन लाज में इस कदर हकूक हासिल हो चुके हैं कि जहां सरकार में कोई तब्दील आई नई सरकार कार्पोरेशन्स या कौन्सिल को तोड़ देती है ।

इस लिए जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है कि सरकार को इस मामले में कम से कम एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाना चाहिए एवान के सामने कि बराह-ए-रास्त इलैक्शन कमीशन की निगरानी में ये इलैक्शन्स कराये जाएं और जब भी कोई सरकार बदले, वह वहां की कार्पोरेशन्स, कौंसिल या टाउन एरिया कमेटी को न तोड़ पाये जिसको बनाने में वहां के लोगों ने अपना सहयोग दिया है, वोट दिया है यह मेरे अपने तजुर्बे की बात है कि इस तरीका कार से लोग सफर करते हैं और उसके बाद ज्यों ही नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है, उन कार्पोरेशन्स का रिप्रेजैन्टेटिव करैक्टर खत्म हो जाता है और वहां पर ब्यूरोक्रेसी छा जाती है और वहां करप्शन शुरू हो जाती है । यह मेरा अपना तजुर्बा है कि ज्यों ही नया एडमिनिस्ट्रेटर आयेगा, उसके आस-पास वेस्टिड इंटरैस्ट के लोग अपने मफाद के लिए आ जाएंगे । इस कारण वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है उस कार्पोरेशन की आमदनी में से उस कार्पोरेशन के असैट्स के बारे में भी किसी को कुछ पूछने का हक हासिल नहीं रहता । इस लिए मैं चाहूंगा कि आपका जो यह कन्सैप्ट है वह गलत बात है । माना सिक्किम में सदारती निजाम है, प्रेजीडैन्ट्स रूल है, लेकिन आपको किसने रोका है कि गंगटोक में म्युनिसिपिल कार्पोरेशन के इलैक्शन न करवा सकें । आप इतनी सुविधा तो कम से कम उनको दे सकते हैं कि वहां पर इलैक्शन हों, इस लिए हर साल एडमिनिस्ट्रेटर की तकररी मियाद बढ़ाना मुनासिब नहीं है और मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि वह इस मामले में तमाम बातों का बगौर मुताला करेगी और एवान के सामने एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाएगा जिसमें मुल्क भर के तमाम कार्पोरेशन्स, कौन्सिल या टाउन एरिया कमेटी के इलैक्शन्स बराहे-रास्त इलैक्शन कमीशन की निगरानी में किए जाने का मुतालबा मंजूर किया जाएगा ।

شری عبدالرشید کابلی (سرینگر) : محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - سرکار کی طرف سے یہ جو بل آیا ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے کہ میونسپل کارپوریشن کے اندر ایڈمنسٹریٹر ڈالیں اور وہ ایک سال بڑھانے کے لیے کہا ہے یہ بات بھی وقت پر نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جو جمہوریت کا تقاضہ ہے اسکے مطابق یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہر سال ایڈمنسٹریٹرس کی میعاد میں اضافہ کرتے رہیں اور اس طریقے سے پبلک پر بیوروکریسی کو مسلط کر دیں - میں سمجھتا ہوں یہ نیگیشن ہے اور ہمارے نظام کی نفی کرتا ہے - میں یہ بتائے بنا نہیں رہ سکتا ہوں کہ میونسپل کارپوریشن کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ اب کارپوریشن بہت وسعت اختیار کر گئے ہیں - اسکے علاوہ شہروں میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے - سرینگر جو کشمیر کی راجدھانی ہے پہلے اسکی آبادی دو ڈھائی لاکھ تھی اب وہاں سات لاکھ کی آبادی ہو گئی ہے - اس طریقے سے ہمارے یہاں جموں میں تین چار لاکھ لوگ رہتے ہیں - پورے ملک کے اندر شہر بہت بڑھ رہے ہیں کیونکہ گاؤں کی آبادی شہروں کی طرف آ رہی ہے - شہروں میں بہت بڑا نظام بڑھ رہا ہے - آبادی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل بڑھے ہیں - جو شہروں میں بستے ہیں انکے مسائل براہ راست میونسپل کارپوریشن کے ساتھ تعلق ہیں - اسلئے وہ حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے میونسپل کارپوریشن کی اور دیکھ رہے ہیں - میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یونان جیسے ملک میں سٹی اسٹیٹس کا تصور تھا - وہاں شہر ہی کنٹریز تھے - ہمارے شہروں کی آبادی بڑھ چکی ہے - آبادی بڑھنے کے بعد کارپوریشنس میں تقریباً وہی مسائل ہیں جو ایک سرکار کو پورے ملک کے لئے حل کرنے پڑتے ہیں -

چھوٹی سطح پر ۔ ٹرانسپورٹ صفائی راشن پانی اور بجلی وغیرہ کے مسائل ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضہ ہے کہ حالات اس قدر بدل گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہئے کہ کارپوریشن اب بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے ۔ کارپوریشن کا ریپریزنٹیٹو کریکٹر ہونا چاہئے اور لوگوں کی مرضی تنہا عوام کی مدد سے ہی کارپوریشن کو بنانا چاہئے ۔ میں اپنی ریاست کی اور آپکو لے جانا چاہتا ہوں ۔ ہماری جو ڈاکٹر : فاروق عبد اللہ کی سرکار تھی اس وقت میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن ایریا کمیٹی کا انتخاب ہوا ۔ اسکے بعد دل بدل کی سرکار بن گئی جسکی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے ۔ وہ ہم پر مسلط کی گئی ہے انہوں نے فوراً ہی میونسپل کمیٹیوں کو توڑ دیا ۔

میں یہ سوال سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک میونسپل کاونسل کو اس امینڈمنٹ میں یہ ہے کہ میونسپل کاونسل پانچ سال تک کام کرے گی ۔

جیسا کہ پانچ سال کے لئے پارلیمنٹ یا لوک سبھا میں ہم لوگوں کو چن کر بھیجتے ہیں اسی طرح ریاستوں میں اسمبلیوں کے لئے چنتے ہیں لیکن وہاں جیوں ہی نئی سرکار آتی ہے تو وہ ان کارپوریشنس یا کونسل کو توڑ دیتی ہے کیونکہ ریاستوں کی سرکاروں کو یہ اختیارات غیر ضروری طور پر حاصل ہیں میں یہاں صرف اپنی ریاست کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں سارے ملک میں دوسری ریاستوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے سب جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ جوں ہی گورنمنٹ بدلی اسنے اپنی مرضی کے مطابق ایڈمنسٹریٹر کو اپائنٹ کر لیا اور لوگوں پر بٹھا دیا ۔ انکے پاس کارپوریشنس یا کونسل کو توڑنے کے اختیارات حاصل ہیں ۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اختیارات انکو حاصل ہیں جو

ڈیموکریسی کا قتل کر رہے ہیں پورے ملک میں ۔ اسلئے میں چاہوں گا کہ جیسا یہاں ایک
آنریبل ممبر صاحب نے کہا آج زمانے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس وقت الیکشن کمیشن کی نگرانی
میں ان الیکشنس کو کرائیں ۔ جہاں بھی کارپوریشنس یا کونسل کے الیکشن ہوں یا جہاں بھی اس
قسم کے نظام قائم ہیں ان میں براہ راست الیکشن کمیشن کو آنا چاہئے تاکہ ووٹ کی سینکٹٹی
کو تقدس کو قائم رکھا جاسکے ۔ اسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی کونسل یا کارپوریشن قائم ہوگا
وہ پانچ سال کے لئے چلے گا لیکن وہ اتنی دیر تک ٹھہرتا نہیں ہے ۔ اسکو بنانے میں لوگوں نے
جس امید سے اپنا ووٹ دیا ہے وہ لوگوں کی پانچ سال تک خدمت نہیں کرتا ہے ۔ اسلئے کہ صاحب
ملک میں اس قسم کی آتھوریٹیرین ٹینڈینسی پیدا ہوگئی ہے جس قدر حقوق حاصل ہو
چکے ہیں کہ جہاں سرکار میں کوئی تبدیلی آئی نئی سرکار کارپوریشن یا کونسل کو توڑ دیتی ہے ۔

اسلئے میری آپ سے گذارش ہے کہ سرکار کو اس معاملے میں کم سے کم ایک
کمپریہینسو بل لانا چاہئے ایوان کے سامنے کہ براہ راست الیکشن کمیشن کی نگرانی میں یہ الیکشن
کرائے جائیں اور جب بھی کوئی سرکار بدلے وہ وہاں کی کارپوریشنس کونسل یا ٹاون ایریا کمیٹی
کو نہ توڑ پائے جسکو بنانے میں وہاں کے لوگوں نے اپنا سہیوگ دیا ہے ووٹ دیا ہے ۔
یہ میرے اپنے تجربہ کی بات ہے کہ اس طریقہ کار سے لوگ سفر کرتے ہیں اور اسکے بعد
جوں ہی ایڈمنسٹریٹر آتا ہے ان کارپوریشنس کا ریپریزینٹیٹیو کریکٹر ختم ہو جاتا ہے اور
وہاں پر بیوروکریسی چھا جاتی ہے اور کرپشن شروع ہو جاتی ہے ۔ یہ میرا اپنا
تجربہ ہے کہ جو بھی پہلا ایڈمنسٹریٹر آئے گا اسکے آس پاس ویسٹڈ انٹریسٹ کے لوگ اپنے
مفاد کے لئے آجائیں گے ۔ اس کارن وہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل پاتا ہے اس
کارپوریشن کی آمدنی میں سے ۔ اس کارپوریشن کے اسپیس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ بھی

پوچھنے کا حق حاصل نہیں رہتا - اسلئے میں چاہوں گا کہ آپکا جو یہ کہنا ہے وہ غلط بات ہے

مانا سکم میں عوامی نظام ہے - پریزیڈینشل رول ہے لیکن آپ لوگوں نے روکا ہے
کہ گنگٹوک میں میونسپل کارپوریشن کے الیکشن نہ کروا سکیں - اتنی بھی دیر ہوا ہے

کم سے کم انکو دے سکتے ہیں - وہاں پر الیکشن ہونا چاہیئے ہر سال ایڈمنسٹریٹر کی میعاد بڑھاتے رہنا مناسب نہیں ہے - میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں
اور سرکار سے آشا کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں تمام باتوں کا

بغور مطالعہ کریں گے اور ایوان کے سامنے ایک کمپریہنسو بل لایا جائیگا جس میں ملک بھر

کے تمام کارپوریشنس کونسل بلحاظ ایریا کمیٹی کے الیکشن براہ راست الیکشن کمیشن کی نگرانی
میں ہی جانے کا مطالبہ منظور کیا جائے گا -]

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं उन आकस्मिकताओं को समझता हूं जिनके कारण सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा है । इस विधेयक का स्वरूप बड़ा सीमित है अर्थात् इसके अन्तर्गत राज्य सरकार में प्रशासक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की शक्ति निहित हो जाएगी । निश्चय ही इसमें नीति सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण मसले अन्तर्निहित हैं । अतः यह उचित होगा कि जिन आकस्मिकताओं के कारण सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा है, उन्हें छोड़ कर नीति सम्बन्धी मसलों पर विस्तार से इस सभा में विचार किया जाए ।

मेरे माननीय मित्रों, श्री डागा एवं श्री व्यास ने यह कहा है कि एक अच्छी सरकार लोकप्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकती क्योंकि एक नौकरशाह सरकार तथा एक लोकतान्त्रिक सरकार दोनों में श्रेणियों का अन्तर होता है, यह अन्तर मात्रा का नहीं होता । यह अन्तर श्रेणी का होता है । अतः यह सही बात कही गई है कि एक अच्छी सरकार लोक-प्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकती । सिक्किम एक अत्यन्त सामरिक महत्व का तथा सीमावर्ती राज्य है । वह भारतीय संघ के राज्यों में शामिल होने वाला एक नया राज्य है । प्रत्येक दृष्टि से यह विशेष ध्यान का पात्र है ।

महोदय, जब कभी भी हम नगर निगमों, शहर की समितियों आदि के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें गांधी जी का प्रशासन और सत्ता का विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त स्मरण हो आता है । आधारभूत सत्ता और प्रशासन का विकास, विशेष रूप से शहर एवं कस्बों के क्षेत्रों का विकास विकेन्द्रीकृत होना चाहिए । राज्य सरकार के अन्तर्गत सीधे कार्य करते हुए सभी राजधानियों के शहरों के नगर निगमों का लोकतन्त्र का अपना क्षेत्र है । स्वायत्तता का अपना क्षेत्र होना चाहिए और अपने मामलों पर नियन्त्रण में उनकी भूमिका होनी चाहिए । अतः इस आधारभूत सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यदि सामान्य स्थितियों में हम ऐसा करते हैं तो हम धरोहर के रूप में मिले आधारभूत सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हैं । हम उन सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हैं जिनका हम दावा करते हैं कि हमने उन्हें राष्ट्रपिता से ग्रहण किया है । इन मोटे-मोटे सिद्धान्तों पर चर्चा के दौरान मैं उनका उल्लेख कर यह बताऊंगा कि आज उन पर कैसे अमल हो रहा है । केवल सिक्किम का ही हवाला नहीं है, बल्कि देश के अन्य अनेक राज्यों में विशेष रूप से पूर्वी राज्यों में, जहां विकास का कार्य विलम्ब से आरम्भ हुआ है, शहरी समितियों, कस्बों की समितियों तथा इस प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी अर्से से इसकी उपेक्षा हो रही है ।

सिक्किम के बारे में उसकी तुलना पूर्वोत्तरी क्षेत्र के एक राज्य से, जहां इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है, करते हुए मुझे दुःख हो रहा है । मैं मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं और इन दोनों राज्यों की अनेक बातें एक सी हैं । मणिपुर एवं सिक्किम दोनों पहाड़ी राज्य हैं । दोनों में विकास का कार्य विलम्ब से आरम्भ हुआ है । जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, यह दोनों नये राज्य हैं । सिक्किम केवल एक दशक पहले ही राज्य बना है । इस लिए मैं अपने राज्य, जहां पर इसी प्रकार की बातें होती हैं और इसी प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहूंगा । हमारे यहां 6 नगर निकाय तथा लगभग 49 अधिसूचित क्षेत्र हैं । यह नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्र नाम मात्र के ही हैं । धनाभाव के कारण, राज्य सरकार प्रशासन के लिए अर्थात् लिपिकीय कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारीवृन्द आदि का व्यय करने संबंधी प्रशासन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन देती है । अतः इससे तथाकथित नगरपालिकाओं अथवा उपनगरों के विकास में बिल्कुल सहायता नहीं मिलती है । महोदय, वास्तव में मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस रूप में शहरीकरण के विरोधी हैं । किन्तु उपनगर समितियों एवं नगर पालिकाओं तथा बोर्डों के विकास का उद्देश्य केवल शहरीकरण करना ही नहीं है । कतिपय ऐसी मूल सुविधाएं, जिन्हें समूचे देश, समूचे राज्य में उपलब्ध नहीं किया जा सकता; उपनगर क्षेत्रों में उपलब्ध की जानी होगी । अतः अब मैं केन्द्रीय आवास मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में उपनगरों के तीव्र विकास के सम्बन्ध में राष्ट्र की एक नीति होनी चाहिए । नीति तो अब भी है किन्तु यदि हम इसके ठोस कार्यान्वयन के पक्ष को देखें तो मैं कहूंगा कि विभिन्न राज्यों में बन रही छोटी उपनगरीय समितियों को मिलने वाली सहायता अत्यन्त नगण्य है । इस

सन्दर्भ में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें विशेष रूप से सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा मणिपुर के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की इन छोटी शहरी समितियों और नगरपालिका समितियों के विकास के लिए और अधिक धन उपलब्ध करना चाहिए । ऐसा करके, हम न केवल जनता को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे, अपितु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनका विकास भी कर सकेंगे क्योंकि इन छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का इस प्रकार विकास करना ही होगा क्योंकि यदि आप उनका भारी उद्योगों अथवा अन्य तरीकों से विकास नहीं कर सकते तो आपको उनका पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करना होगा । पर्यटक उपनगरों के रूप में वहां सर्व प्रथम जल, बिजली, होटल आदि सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी होगी । इस प्रकार, हम आर्थिक रूप से अब तक उपेक्षित तथा विलम्ब से विकास कार्य आरम्भ करने वाले संघ राज्य क्षेत्रों एवं राज्यों का उत्थान कर सकेंगे ।

विशेष रूप से जहां तक सिक्किम का सम्बन्ध है, इन वर्षों में हमने इस पर काफी ध्यान दिया है। कुछ वर्ष पूर्व संसद ने सिक्किम को राज्य बनाने के लिए कानून का दर्जा ठीक ही दिया । विपक्ष से बोलने वाले मेरे माननीय मित्र ने सिक्किम में प्रशासन तथा वहां की लोकतान्त्रिक सरकार को बर्खास्त करने के बारे में कहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि नगर निगम के सन्दर्भ में यह समूचे राज्य प्रशासन के बारे में है। किन्तु हमें यह स्वीकार करना होगा कि उस राज्य में एक असाधारण स्थिति बनी हुई है, और हमें उस स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए । आमतौर पर हम सभी इससे सहमत हैं कि न केवल सिक्किम में बल्कि प्रत्येक राज्य में सामान्यतया लोकतन्त्र शासन होना चाहिए । हमें यह समझना चाहिए कि सिक्किम में एक असामान्य स्थिति बनी हुई थी और भारत सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी । अतः एक विशेष प्रकार की कार्यवाही, जो लोकतान्त्रिक रूप से सामान्यतया उचित नहीं मानी जा सकती, करनी पड़ी । भारत सरकार को उस प्रकार की कार्यवाही करने का पूरा औचित्य था । किन्तु हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में भी हमेशा इस प्रकार की कार्यवाही की जाए । इस प्रकार की कार्यवाही यदाकदा ही की जानी चाहिए । अतः जहां तक हम समझते हैं चाहे हम किसी भी दृष्टि से क्यों न देखें गंगटोक नगर निगम का आस्तित्व रहेगा । मैं सिक्किम का निवासी नहीं हूं । किन्तु हमने जो कुछ भी थोड़ा सा इसके बारे में देखा-सुना है, उससे पता चलता है कि यह एक प्रशासनिक एकक मात्र ही है । जैसाकि मैंने पहले कहा है, विकास तथा पर्यटन विकास की दृष्टि से इसके अनेक पक्षों की अवहेलना ही हुई है। यदि गंगटोक नगर निगम में नौकरशाही शासन एवं व्यवस्था बनी रहने के बावजूद भारत सरकार वहां विकास सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ा सकती है और पर्यटकों को दी गई जल, ऊर्जा तथा अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए कतिपय ठोस कदम उठा सकती है तो सभी प्रकार की आलोचना के बावजूद उसके द्वारा अभी तक किये गये उस कार्य का औचित्य होगा जिसके कारण पर्यटक केन्द्र के रूप में उसका आकर्षण बढ़ सकता है ।

अतः मैं आवास मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि सिक्किम से सबक लेकर हमें अपेक्षाकृत व्यापक नीति बनानी चाहिए जो न केवल सिक्किम के मामले में लागू हो अपितु शेष देश में भी

लागू हो ताकि समूचे देश के अधिसूचित क्षेत्र, छोटी उपनगरीय समितियां तथा नगरीय समितियां विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती राज्यों में तथा सिक्किम में भी विशेष रूप से अधिक लम्बित धनराशि देकर उचित सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं। आज हम देखते हैं कि भारत सरकार के आवास मन्त्रालय कुछ नियमों के अनुसार विभिन्न राज्यों से हर वर्ष उपनगरीय समितियों का विशेष चयन करता है। यह अच्छी बात है। हम यह देखते हैं कि इस चयन कार्य में पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह नहीं जानता कि अब तक उनकी उपेक्षा क्यों की जाती रही है।

अब, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत सरकार का आवास मंत्रालय उपनगरों के विकास के संबंध में पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक विशेष नीति बनाये जिसमें इस क्षेत्र में पर्यटन में अधिक बल दिया जाना चाहिए। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त ने अभी जिन ख्यालात का इजहार किया है और अभी काबुली जी जो सामने बैठे हुए हमारे दोस्त ने अपने ख्यालात का इजहार किया, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस से उसका ज्यादा ताल्लुक हो। सारे हिन्दुस्तान के कारपोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत इसके दायरे में नहीं आते हैं। एलैक्शन कराना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। यह पर्टिकुलर बिल क्यों पार्लियामेंट में आया गंगटोक का ? अगर यह मकसद होता कि सारे कारपोरेशंस के लिए, सारी स्टेट्स की कारपोरेशंस के लिए हम लोग कोई बिल बनाते तो ये बातें कही जा सकती थीं। मगर यह तो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेज में लाया गया है। आप जानते हैं कि यह आर्डिनेंस 17-12-84 को वहां के गवर्नर ने जारी किया विद दि कंसेंट आफ दि प्रेसीडेंट क्योंकि वहां प्रेसीडेंट्स रूल है। वहां गंगटोक का जो ऐक्ट है कारपोरेशन का उस ऐक्ट के मुताबिक जो काउंसिलर्स थे वह काम करते थे। उनका पीरिअड खत्म हो गया। वह खत्म हो गया तो उसी ऐक्ट के मुताबिक जो वहां जारी है वहां एक ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। वह ऐडमिनिस्ट्रेटर काम करते हुए चले जा रहे थे। उसका भी पीरिअड है कि कितने दिनों तक ऐडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। तब तक वहां प्रेसीडेंट्स रूल हो गया। यह प्रेसीडेंट्स रूल 24 मई, 1985 को खत्म होने जा रहा है। तो उस कान्टीन्यूइटी को मेन्टेन रखने के लिए ताकि काम सफर नहीं हो, एक साल के लिए इसका पीरिअड एक्सटेंड किया जा रहा है कि जब वहां पापुलर गवर्नमेंट आ जायेगी तो वह कारपोरेशन का एलेक्शन करायेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐडमिनिस्ट्रेटर को हटा कर अपना वहां सफाई का या एलेक्ट्रिसिटी का अच्छा इन्तजाम जैसा करना चाहेंगे वैसा करेंगे जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा। सिर्फ उतने ही लेकुना को हटाने के लिए जो गंगटोक म्युनिसिपल ऐक्ट में दिया गया था जितने पीरिअड के लिए किसी भी वजह

से वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने बहाल किया था उसका अब एक साल और पीरिअड बढ़ाने के लिए इस आर्डिनेंस को ऐक्ट में हमें तब्दील करना पड़ेगा ताकि उसकी कान्टीन्यूइटी बहाल रहे। 24 मई, 1985 को यह प्रेसीडेंट्स रूल वहां खत्म हो जाएगा और जब वह खत्म हो जाएगा तो वह वहां एलेक्शन करा कर जो चाहेंगे वह करेंगे ।

इस लिए मैं समझता हूं कि इसमें और कोई काम्पलीकेशन नहीं है और इस बिल को पास करने के लिए मैं हाउस के सामने पेश करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गंगटोक नगर निगम अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"पैंतीसवें" के स्थान पर "छत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

(श्री अब्दुल गफूर)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री अब्दुल गफूर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.52 म०प०

प्रशासनिक अधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15 लेते हैं ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव): मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :

"संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय-निर्णयन या विचारण करने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संविधान के अनुच्छेद 323 क में संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय-निर्णयन या विचारण के लिए उपबन्ध

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

करने की व्यवस्था है। प्रशासनिक अधिकरण विधेयक, 1985 संविधान के इन उपबन्धों को कार्य रूप देने के आशय से बनाया गया है। विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सरकार की अन्य सेवाओं के कर्मचारियों के सेवा मामलों से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार राज्य सरकारों के कर्मचारियों के सेवा मामलों से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करने के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण बनाने की भी व्यवस्था है। विधेयक में एक उपबन्ध ऐसा भी है जिसके अन्तर्गत अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों, निगमों आदि के कर्मचारियों के मामलों तक भी बढ़ाया जा सकता है। विधेयक में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। एक उपबन्ध के अन्तर्गत यदि राज्य चाहें तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण भी बनाये जा सकते हैं। जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 323 क में कहा गया है ऐसे अधिकरण बन जाने पर अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार कर्मचारियों के सदस्यों की भरती और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित मामले अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

ऐसा अनुमान है कि इस समय केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के 63,880 मामले देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। केवल सेवा मामलों पर विचार करने के लिए प्रशासनिक अधिकरणों के बन जाने पर न केवल न्यायालयों का वर्तमान भार घटेगा जिससे कि वे अन्य मामलों पर अधिक समय दे पायेंगे, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा के मामलों से सम्बन्धित शिकायतें दूर कराने के लिए त्वरित सहायता भी मिलेगी।

यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक अधिकरण में एक मुख्य न्यायपीठ तथा जितनी आवश्यक होंगी अतिरिक्त न्यायपीठ होंगी। मुख्य न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसमें उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। अतिरिक्त न्यायपीठों में भी कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे। तीन-सदस्यीय न्यायपीठों की व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि अधिकरणों के समक्ष आने वाले मामलों पर वस्तुपरकता से विचार किया जा सके और निर्णय से पहले शिकायतों के सभी पहलुओं पर उचित रूप से विचार हो सके। तथापि, सामान्य स्वरूप के मामलों पर विचार करने के लिए एक सदस्यीय न्यायपीठ के गठन की भी व्यवस्था की गई है।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालयों के कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीश अथवा भारत सरकार के सचिव के पद पर काम कर रहे या कर चुके व्यक्तियों या केन्द्र अथवा राज्य सरकारों में 2 वर्षों से काम कर रहे ऐसे व्यक्तियों को जिनका वेतनमान भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम नहीं है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार वे व्यक्ति जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं या वे पद धारण करने के अर्ह हों या वे पद धारण कर चुके हों और वे व्यक्ति जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद के बराबर के पद पर 2 वर्ष या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर तीन वर्ष या केन्द्र या किसी राज्य सरकार के किसी ऐसे पद पर जिसका वेतनमान भारत सरकार के अवर सचिव के वेतनमान से कम नहीं है उस पर दो वर्ष या संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो उस पर तीन वर्ष काम किया हो,

अधिकरण के सदस्य नियुक्त किये जाने के पात्र हैं। अधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष होगा लेकिन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के मामले में अधिकतम आयु 65 वर्ष और सदस्यों के मामले में 62 वर्ष होगी।

अधिकरण की वस्तुपरकता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्यों को उनके ऐसे पद से हटने के बाद केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी अन्य नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और यह कि वे उस अधिकरण में जिसमें उन्होंने पद धारण किया है, वकालत नहीं कर सकते हैं।

प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास पड़े अपील मामलों को छोड़कर सभी लम्बित मामले अधिकरण को अंतरित हो जायेंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 323 क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुरूप है।

अधिकरण के अंतिम आदेश दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे तथा अधिकरण के आदेश से दोनों पक्षों में से कोई व्यथित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 में उपबंधित रूप में उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

राज्य सभा द्वारा आपने पिछले सत्र में प्रशासनिक अधिकरण विधेयक, 1984 को पारित करने से केवल लोक सेवाओं में रत व्यक्तियों के सेवा मामलों पर विचार करने के लिए एक निकाय की काफी समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पूरी हुई है जिससे कि उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके। मुझे आशा है कि सदन में सभी पक्ष इस विधेयक का स्वागत करेंगे। अतः मैं इस सदन द्वारा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने की सिफारिश करता हूं।

प्रसंगवश, विधेयक राज्य सभा ने पारित कर दिया था किन्तु लोक सभा में पुरःस्थापित करने से पहले लोक सभा का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। अतः इसे एक नये विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय-निर्णयन या विचारण करने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री निस्संकारा राव वेंकट रत्नम (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक स्वागत योग्य बात है कि सेवा मामलों से सम्बन्धित विवादों पर विचार करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरणों का गठन किया जा रहा है। इससे पहले लोक सेवाओं में रत व्यक्तियों के सामने कठिनाई ये होती थी

कि किसी अधिकरण द्वारा दिया जाने वाला निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता था। राज्य सरकार उसे स्वीकार भी कर सकती थी, अस्वीकार भी। इसीलिए काफी अधिक संख्या में न्यायालयों में मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

निस्संदेह, यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि मन्त्री महोदय ने बताया है कि अधिकरण का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इससे पहले अनेक निर्णयों को राज्य सरकारों ने स्वीकार नहीं किया था।

3.00 म०प०

अनेक मामले ऐसे थे जिन्हें राज्य सरकारों ने अस्वीकार कर दिया था और जो विभिन्न अधिकरणों के पास अनिर्णीत पड़े हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वे मामले भी इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में आ जाएं। इससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ऐसे हजारों मामले हैं जिन्हें अधिकरण स्वीकार कर लेते हैं और राज्य सरकारें अस्वीकार कर देती हैं। यदि आप इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हैं और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाते हैं तो उससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। खण्ड 30 में कहा गया है कि :

> "किसी अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा ..... के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।"

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसमें यह भी जोड़ा जाए कि "और अर्हताओं को ध्यान में लाए बिना दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगी"। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इसे भूतलक्षी प्रस्ताव से लागू किया जाए ताकि राज्य सरकारों ने जिन मामलों को अस्वीकार किया था उन्हें इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सके।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, निस्संदेह यह एक बहुत अच्छा विधेयक है जिसमें केन्द्र या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को राहत देने की व्यवस्था है। यह एक सही कदम है किन्तु मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात अधिकरण की संरचना की है। विधेयक के अनुसार और मंत्री महोदय द्वारा दिये गए वक्तव्य के अनुसार, एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 33 सदस्य होंगे। उनकी अर्हताओं के संबंध में विधेयक में कहा गया है कि :

> "कोई व्यक्ति" अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तभी अर्हित होगा जब वह—
>
> (क) किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, या
>
> .....
>
> (ग) कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के सचिव का पद अथवा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई अन्य पद धारण कर चुका हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम न हो।"

इसी प्रकार कोई अवर सचिव या संयुक्त सचिव अधिकरण का सदस्य हो सकता है । विधि शास्त्र की भावना को ध्यान में रखते हुए यदि आप अधिकरण के समक्ष सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करना चाहते हैं और उन्हें राहत देना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा कि किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त सचिव को अध्यक्ष बनाया जाए या अपर सचिव को सदस्य या कुछ और बनाया जाए । मान लीजिये मैं किसी विशेष राज्य सरकार में अवर सचिव रहा हूं और अपने कार्यकाल में मुझे मेरे विभागीय सचिव ने तंग किया हो । हो सकता है कि मेरी कठिनाईयां व्यक्तिगत या अन्य कारणों से उसी के कार्यकाल में शुरू हुई हों । अब जब मैं अधिकरण के समक्ष जाता हूं तो पता लगता है कि वही सचिव अधिकरण का अध्यक्ष है । नौकरशाही के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना के बिना या किसी अधिकारी पर आक्षेप किये बिना मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप विधि शास्त्र में उचित प्रथा को अपनाना चाहते हैं तो यह एक पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित उपबन्ध है । इस आदमी को जिसने उसी वरिष्ठ अधिकारी के नीचे काम किया है और उसे तंग किया गया है, कैसे उसी व्यक्ति से न्याय पा सकता है जो अब अधिकरण का अध्यक्ष है ? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की बात तो समझ आती है किन्तु यदि आप संबंधित अधिकारियों को वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो कार्यरत या सेवानिवृत्त सचिवों या अवर सचिवों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये । अतः मेरी पहली आपत्ति तो अधिकरण की संरचना पर ही है ।

मैं अनेक ऐसे मामले जानता हूं जिनमें अधिकारियों को तंग किया गया और कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है और मंत्रियों या राजनीतिज्ञों के कारण नहीं बल्कि अंतर-सेवा प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है । कुछ अधिकारियों को पदोन्नतियों के मामलों में और कुछ को स्थानांतरण के मामले में तंग किया गया और ऐसा अंतर-सेवा प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ तथा इसके लिये जनता सरकार उत्तरदायी है क्योंकि उसने सम्पूर्ण नौकरशाही में राजनीति का प्रवेश कराया और लोगों को यहां से वहां स्थानान्तरित करना शुरू किया । यह प्रक्रिया अभी तक देश में जारी है । इन परिस्थितियों में यदि अधिकरण की संरचना में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाता है तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस उपबंध को हटा दिया जाए ।

3.05 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबन्ध का विरोध करता हूं । आप इस उद्देश्य हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को क्यों लेना चाहते हैं ? वकील समुदाय (बार) में बहुत से योग्य सदस्य मिल जायेंगे जिन्हें इस न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता । आप उन्हें न्यायाधिकरण में नियुक्त क्यों नहीं करते ? क्या आपके विचार में बाहर योग्य व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इस न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जा सके ? आप सेवानिवृत्त अधिकारियों को 4,000 रुपये प्रतिमास के वेतन पर नियुक्त करने, जिसमें वे तीन वर्षों के लिए बने रह सकते हैं और जो कुछ वे चाहते हैं कर सकते हैं, की पुरानी ब्रिटिश परम्परा का अनुकरण क्यों करते हैं ? यह उचित नहीं है । हम इस देश में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त करने की परम्परा पर नहीं चल सकते । व्यक्तिगत रूप से मुझे उनसे कोई घृणा नहीं है, परन्तु मैं चाहता हूं कि वे नया दृष्टिकोण अपनायें ।

आपने कहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे जबकि सदस्य 62 वर्ष की आयु तक। आप भेदभाव क्यों करते हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि सदस्य, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनसे कम हैं अथवा वे दो वर्ष पहले बूढे हो जायेंगे जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पांच वर्ष के बाद बूढे होंगे? मुझे यह समझ नहीं आया। पांच वर्ष हो या दो वर्ष सबके लिए एक समान होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसे और स्पष्ट करें।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले स्थानान्तरित नहीं किए जा सकेंगे। मान लीजिये मुझे एक सदस्यीय न्यायाधीश से सही निर्णय मिलता है और मेरा विरोधी डिवीजन बैंच के समक्ष अपील दायर कर देता है और वह बैंच शीघ्र ही न्याय देने वाला है। ऐसे मामलों में आप किस सिद्धांत का पालन करेंगे? क्या उन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है? क्या यह तर्कसंगत है? क्या इससे न्याय का आधार कमजोर नहीं पड़ जाएगा? इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें पूरी सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश स्थानान्तरित हो गए हैं। ऐसे मामलों में आप क्या करेंगे? क्या वे न्यायाधिकरण को स्थानान्तरित किए जायेंगे?

तीसरे, मान लीजिये एक याचिका जारी तो कर दी गई है परन्तु निपटाई नहीं गई है। ऐसे मामलों को आप कैसे स्थानान्तरित करेंगे? माननीय मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित इन मुद्दों को स्पष्ट करें।

मुझे जो समझ में आया है वह यह है कि न्यायाधिकरण का दर्जा उच्च न्यायालय के समान होगा। विधेयक में भी इसका उल्लेख है और मंत्री महोदय ने भी ऐसा कहा है। परन्तु अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति विशेष अनुमति लेकर उच्च न्यायालय में जा सकेगा। आप उसे रोक नहीं सकते। इस प्रकार वह उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि सरकारी कर्मचारी को यह विश्वास हो जाए कि न्यायाधिकरण का गठन इस प्रकार का है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वह अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च-न्यायालय जाएगा। इस प्रकार न्यायाधिकरण चैन की नींद सोएगा। इसी कारण मैं यह कहता हूं कि न्यायाधिकरण का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि इसको कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त हो। तथा उन्हें लगे कि यह एक ऐसा निकाय है जहां वास्तविक और शीघ्र न्याय मिलता है।

एक बात और गठन के बारे में, यदि आप राज्य न्यायाधिकरण के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहते हैं तो ध्यान रखा जाए कि न्यायाधीश उस राज्य से न हों। मैं न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं परन्तु यह जीवन का सच है कि इस समय सामाजिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और जातिगत विवशतायें ऐसी हैं कि स्थिति अत्यन्त भयावह हो गई है और इसलिए राज्य न्यायाधिकरण में उसी राज्य विशेष के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करना उचित नहीं होगा। यह मंत्री महोदय को मेरा एक और सुझाव है।

मैं अब पुलिस अधिकारियों को लेता हूं। मैं असम, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देता हूं। क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, भावात्मक और सांस्कृतिक तथा बिहार में जाति-

गत विवशताओं के कारण अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से किया जाता है कि राज्य और क्षेत्र में समस्यायें और बढ़ जाती हैं। मैं बिहार में मुंगेर का उदाहरण देता हूं। मैं कई कहानियां पढ़ चुका हूं। यदि डाकू और उस क्षेत्र का पुलिस प्रमुख एक ही जाति के हैं तो डाकू को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप इस बात की पुष्टि उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों से कर सकते हैं। बिहार में यह बहुत समय से होता आ रहा है। मान लीजिये मैं उत्तर प्रदेश संवर्ग का हूं और मुंगेर तैनात हो जाता हूं और उस व्यक्ति के विरुद्ध हो जाता हूं। वह जाकर मेरे विरुद्ध झूठी शिकायतें करेगा। अतः प्रशासनिक न्यायाधिकरण इस प्रकार की शिकायतों की भी जांच करेगा। जब एक राज्य में प्रशासन प्रत्येक स्तर पर जाति-वाद और क्षेत्रीयता-वाद से दूषित हो चुका हो तो आपका न्यायाधिकरण तब तक न्याय नहीं दे सकता जब तक आप इस बुराई को समाप्त नहीं कर देते। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हुए दंगों में से अधिकांश में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस का मुसलमानों अथवा अन्य किसी अन्य समुदाय के विरुद्ध अपनी खतरनाक भावनाओं के कारण हाथ रहा है। जब मैं युवा कांग्रेस (इ) का नेता था, प्रभावित क्षेत्रों में गया था। मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि वे किस प्रकार काम करते हैं और व्यवहार करते हैं। वे लोगों को लूटने के लिए भड़काते हैं। ऐसा बिहार में कई अवसरों पर हो चुका है।

मैं अब असम को लेता हूं। असम एक संवेदनशील राज्य है। यदि वहां किसी अधिकारी को जान-बूझकर असमी संस्कृति की उपेक्षा करने और उसका अपमान करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा सिपाहियों और कर्मचारियों को कही गई बातें और भाषण खुले आम बाजार पहुंच जायेंगे, समाज में पहुंच जायेंगी, विश्वविद्यालय में पहुंच जायेंगी और स्थिति भड़क उठेगी। ऐसा कई बार होता है। मैं विशेषरूप से असम में यह देख चुका हूं। चूंकि प्रशासनिक सुधार का प्रभार आपके पास है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण के अतिरिक्त सर्वप्रथम आप अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता का प्रशिक्षण दें जिससे वे समझ सकें कि भारत की संस्कृति क्या है? उत्तर प्रदेश से असम स्थानांतरित होने वाले अधिकारी को यह अवश्य ही पता होना चाहिये कि असम के त्यौहारों का कैसे सम्मान करना है। असम से कोई अधिकारी जब उत्तर प्रदेश जाता है तो उसे पता होना चाहिये कि उस राज्य के पवित्र त्यौहारों का सम्मान कैसे करना है। प्रशासनिक अधिकारियों में ये बुनियादी कमियां हैं और इनसे देश में गम्भीर समस्यायें पैदा हो रही हैं और देश को छिन्न-भिन्न करने में सहायक हो रही हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक सिविल सेवा के अधिकारी को पदोन्नति देकर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। वह पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। राजाराम मोहन राय के जन्म दिवस पर उन्होंने कई लोगों से कहा कि वह नहीं जानते कि राजाराम मोहन राय कौन थे। और उन्हें पदोन्नत कर राज्यपाल बना दिया गया। इस प्रकार प्रशासन में इस तरह के लोग हैं।

मैं अब पश्चिम बंगाल पर आता हूं। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। विपक्ष के सदस्यों को इस बारे में महसूस नहीं करना चाहिये। यह ठीक है या गलत पश्चिम बंगाल राजनीतिक दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है और राजनीति का असर अधिकारियों, कर्मचारियों और नीति पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश काल से ही विद्यार्थी यूनियन आन्दोलन की अनुमति दी गई थी और मैं इसका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी आन्दोलन की गति-

विधियों के कारण और इसके 'क' या 'ख' वाद (ब्लाक) से जड़े होने के कारण जब वे बड़े-बड़े कालेजों से पढ़कर निकलते हैं तो वे काफी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। परन्तु उनकी भावनायें कैसी ही क्यों न रही हों वे अपने पिछले दिनों को भूल नहीं सकते। इसके परिणामस्वरूप इसका प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूं। लोक सभा चुनावों के दौरान.....* ...एक पुलिस अधीक्षक ने राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के समक्ष मतदाताओं को निर्दयता से पीटना आरम्भ कर दिया और कहने लगा उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है और वह ऐसा करेगा। पंक्ति में खड़े बीस हजार मतदाताओं को पीटा गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : उन्हें क्यों पीटा गया ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं पुलिस अधीक्षक के बारे में कह रहा था। [व्यवधान]

सभापति महोदय, वे अब जाल में फंस गये हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैंने पुलिस अधीक्षक का उल्लेख किया है। उनका अब भण्डाफोड़ हो चुका है। सभापति महोदय, मैं प्रसन्न हूं।

[व्यवधान]

सभापति महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिये। सभापति महोदय, मैं पुलिस अधीक्षक की बात कर रहा हूं पार्टी की नहीं। वे उसका बचाव क्यों कर रहे हैं ?

[व्यवधान]

श्री अमल दत्त : वास्तव में क्या हुआ, वह यह स्पष्ट करें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं स्पष्ट करूंगा।

[व्यवधान]

मैं अपनी बात पर अडिग हूं।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिना नोटिस दिए कोई सदस्य इस तरह बोल सकता है। इससे सरकार के अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। आपका विनिर्णय क्या है ?

[व्यवधान]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : चुनाव से सात दिन पूर्व उस अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा "हिन्दी भाषी लोग इन्दिरा जी के हाथ के निशान पर मुहर लगायेंगे। और मैं उन्हें हावड़ा में ऐसा नहीं करने दूंगा" और उन्होंने उन्हें सुबह से ही मारना आरम्भ कर दिया और पंक्ति से उन्हें भगा दिया।

[व्यवधान]

सभापति महोदय, मैंने इस प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया था जो राष्ट्रीय कार्यक्रम को अस्त-व्यस्त करते रहते हैं। इस प्रकार के अधिकारी प्रशासन को दूषित कर रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[व्यवधान]

आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? मैं आपकी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

श्री अमल दत्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति है । बिना जानकारी के ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते ।

सभापति महोदय : कृपया पीठ को संबोधित करते हुए बोलें और विधेयक पर बोलिये ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं स्वयं को विधेयक तक ही सीमित रख रहा हूं ।

[व्यवधान]

मैं आपका आभारी हूं । मेरे हस्तक्षेप के कारण उनका भण्डाफोड़ हुआ है । मैं खुश हूं कि उन्होंने अधिकारियों अर्थात् हावड़ा के पुलिस अधीक्षक के साथ अपनी सांठ-गांठ प्रमाणित कर दी है ।

मैं मंत्री जी को एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सरकारी तौर पर पारित कराने से पूर्व मेरे सुझावों पर विचार किया जाए । और यदि पश्चिम बंगाल के लिये न्यायाधिकरण की स्थापना करने का अनुरोध किया जाता है तो उन्हें यह देखना चाहिए कि न्यायाधीश राज्य से बाहर से नियुक्त किए जायें पश्चिम बंगाल से नहीं और किसी भी विभागीय सिविल कर्मचारी को इसमें आने की अनुमति न दी जाए । इस प्रकार के पुलिस अधिकारियों से, जो अपनी शक्ति के बल पर मतदाताओं का अपमान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सख्ती से पेश आना चाहिये । मैं यही कहता हूं । मैं श्री अमल दत्त का आभारी हूं जिन्होंने कम से कम पुलिस अधिकारियों से अपना संबंध साबित कर दिया है ।

श्री अमल दत्त : संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये पूरे आरोप को निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि सूचना नहीं दी गई ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उसका बचाव करने के लिये धन्यवाद ।

श्री अमल दत्त : मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं । मैं सभा के नियमों का पक्ष ले रहा हूं । आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । आपको शर्म आनी चाहिये । नियम आपको यह सब कहने की अनुमति नहीं देते । कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिये ।

सभापति महोदय : उन्होंने अधिकारी का नाम नहीं लिया है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यदि इस प्रकार के आरोप लगाये जाते रहे तो, वे कहां बोलेंगे ?

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : इस समय कोई अनुरोध नहीं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

"यथा बाधति बाधते राजन,
तथा स्कंधं न बांधते ।"

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, मुझे यह समझ नहीं आता है कि सरकार ने इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने में इतनी जल्दी क्यों की है । इस विधेयक में मुझे कई त्रुटियां दिखाई देती हैं । इस विधेयक में राज्य और केन्द्र सरकार के लगभग 80 से 90 लाख कर्मचारी आते हैं । अतः मेरे विचार में इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार को केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठनों से बात करनी चाहिये थी ।

महोदय, मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित रहा हूं । मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों और कर्मचारियों के संघों के मामलों को जानता हूं । उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों पर चर्चा करने हेतु केन्द्र सरकार को कई बार लिखा परन्तु वास्तव में केन्द्र सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

सरकार की मुख्य दलील यह है कि मुख्य न्यायालयों में बहुत से मामले लम्बित पड़े हुए हैं और इसीलिये इस प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक को लाया गया है । अगर यही दलील सरकार द्वारा अन्य मामलों में भी दी जाती है तो मैं नहीं जानता सरकार क्या करेगी । जमीन को लेकर झगड़ों के बहुत से मामले तथा अन्य प्रकार के मामले उच्च न्यायालय में लम्बित हैं । पता नहीं इन मामलों के संबंध में भी न्यायाधिकरण गठित करने के लिए सरकार इस प्रकार के विधेयक लाएगी या नहीं । उच्च न्यायालयों में बहुत से मामले लम्बित हैं । परन्तु औद्योगिक न्यायाधिकरणों के बारे में आपका क्या अनुभव है ? औद्योगिक न्यायाधिकरण पहले ही विद्यमान है । हम देख रहे हैं कि बहुत से मामले वर्षों से औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े हुए हैं । इसका मुख्य कारण है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी । न्यायाधिकरणों में भी न्यायाधीशों की कमी है । मुझे खेद है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में भी ऐसा ही होगा । आवश्यकता है, मामलों का जल्दी निपटान करने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की ।

विधेयक अनुच्छेद 323 (क) के अनुरूप तैयार किया गया है जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, छुट्टी आदि विषय ले लिये गये हैं । इस तरह के सभी मामलों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया गया है । परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार को अन्य संबंधित संगठनों से भी चर्चा करनी चाहिये थी और एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये था, अन्यथा जो कुछ कमियां हैं वे दूर नहीं होंगी ।

इस विधेयक से संबद्ध एक अन्य मुद्दा मेरे सम्मानीय मित्र श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी द्वारा उठाया गया है । उन्होंने पूछा है कि इस प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा । विधेयक में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष सरकार का सेवा-निवृत्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव होगा । अगर सेवा निवृत्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा तो इस बात का भय है कि कर्मचारियों को शायद न्याय न मिले क्योंकि उनकी विचारधारा न्यायायिक नहीं होगी । न्यायाधिकरण का फैसला हो सकता है, प्रशासनिक प्रवृत्ति का हो । सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मचारी के प्रति कार्यवाही करता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो निश्चय ही उस वक्त उसका दिमाग स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकेगा । उस वक्त उनका प्रत्येक फैसला, उनकी

प्रत्येक धारणा, प्रत्येक विचार प्रशासनिक तरीके से प्रभावित होगा । अतः इस तरह के प्रावधान को बदल लेना चाहिये । अन्यथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा और इससे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

एक और मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं इसमें एक प्रावधान है न्यायाधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारी या तो स्वयं ही उपस्थित हो अथवा अपनी पसन्द के कानूनी व्यक्ति की सहायता ले सकता है । अगर कर्मचारी न्यायाधिकरण के नियमों और विनियमों से परिचित नहीं है और अगर वह वकील की फीस देने में समर्थ नहीं है तो इस मामले में विधेयक में क्या प्रावधान है ? यह विधेयक में स्पष्ट नहीं है । उस अवस्था में क्या वह न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में समर्थ नहीं होगा अथवा स्पष्ट नहीं करता है ।

इस संदर्भ में, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार में एक प्रणाली है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों की कार्यवाही के समक्ष एक कर्मचारी की ओर से अन्य दूसरा कर्मचारी भी उपस्थित हो सकता है । अगर इसमें यह सम्मिलित कर लिया गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की तरफ से उपस्थित हो सकता है, तो यह राज्य तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए मददगार होगा ।

एक और मुद्दा है । अगर न्यायाधिकरण में कर्मचारी को कोई न्याय नहीं मिलता है तभी वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है । यह एक गम्भीर बात है । तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते । आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय में कितना पैसा लगता है । अगर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिलता है तो उच्चतम न्यायालय में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है । क्या उसके लिये उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करना मुमकिन है ? मेरे विचार से यह न्यायाधिकरण विधेयक, विशेष रूप में यह प्रावधान केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये सहायक नहीं है ।

मेरा आखिरी मुद्दा है कि मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करूंगा । आप केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठनों के साथ चर्चा करें और व्यापक विधेयक लाएं । यह केन्द्र तथा राज्य सरकार कर्मचारियों के लिये मददगार होगा । अन्यथा, इस विधेयक का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिणी दिल्ली) : सभापति जी, हाउस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बिल पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । जैसा यहां पर बताया गया, इस समय सारे हिन्दुस्तान की अलग-अलग अदालतों में लगभग 63 हजार मामले पैन्डिंग हैं, जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित हैं और जिनका फैसला नहीं हो पाया है, और इतनी बड़ी संख्या में पैन्डिंग मामलों को जल्द-से-जल्द निपटाने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं । मैं समझता हूं कि यह इस दिशा में बहुत अच्छा कदम होगा । इस तरह राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के उन हजारों कर्मचारियों को न्याय मिल सकेगा, जो अभी तक न्याय की प्रतीक्षा में थे और जिनके मुकदमे विभिन्न अदालतों की फाइलों में दबे पड़े थे । मैं समझता हूं कि इन ट्रिब्यूनल्स के बनने से उनको बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और इस तरह उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी ।

जैसा कि यहां जिक्र किया गया, उन कर्मचारियों की भर्ती और सेवाशर्तों में सुधार लाने के लिए ही इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया है, उनकी वर्किंग कण्डीशन्स सुधारने के लिए इन्हें बनाया गया है और इससे भी अच्छी बात यह है कि सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष, दोनों ही पक्षों पर यह बाइन्डिंग होगा, मैं समझता हूं कि इस बिल का यह मकसद या उद्देश्य स्वागत-योग्य है लेकिन इस बिल में कुछ कमजोरियां भी हैं, जिनकी तरफ मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

हालांकि एक हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने यहां कहा कि इस ट्रिब्यूनल के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने से कर्मचारियों का नुकसान होगा, मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं हूं बल्कि मैं समझता हूं कि उनको इससे उल्टे फायदा ही होगा क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यदि कोई कर्मचारी नीचे की अदालत में मुकदमा जीतता है तो सरकार उस मामले को हाई कोर्ट में ले जाती है, यदि वह हाई कोर्ट में जीतता है तो उस मामले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, मैं समझता हूं कि इस बिल के आने के बाद अब वह बीच का हिस्सा, जहां हाई कोर्ट में सालों तक वह मुकदमा चलता रहता था और इस तरह से कर्मचारियों का बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था, अब उससे सरकारी कर्मचारी बच सकेंगे और इस दौरान जो समय नष्ट होता था, उससे भी वे बच सकेंगे । इसके बाद अब वे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर सकेंगे । जिस प्रकार से यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाये हैं, हमारे देश में लेबर ट्रिब्यूनल्स भी हैं । उनकी हालत देखें तो हजारों मुकदमें आपको मिलेंगे जो कई सालों से लेबर ट्रिब्यूनल्स में पड़े हुए हैं लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि जो लेबर ट्रिब्यूनल्स की बुरी हालत है, वही हालत इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की न हो । मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन ट्रिब्यूनल्स को टाइम बाउन्ड बनाया जाये, समय निर्धारित किया जाये कि इतने समय में अलग-अलग कैटेगरीज के मुकदमों का फैसला किया जायेगा ताकि स्पीडी जस्टिस के मकसद को सामने रखकर जो ट्रिब्यूनल्स बनाये गए हैं, वह उद्देश्य पूरा हो सके ।

इस बिल की धारा 6 में कहा गया है कि सैक्रेटरी और ज्वायन्ट सैक्रेटरीज भी इसके चेयरमैन बन सकते हैं । मैं इसका सख्त विरोध करता हूं जिसका कारण यह है, अभी हमारे साथी ने भी जिक्र किया, कि कोई भी सैक्रेटरी या ज्वायन्ट सैक्रेटरी जब वह अपनी मिनिस्ट्री में है, अगर उसने वहां किसी भी कर्मचारी को विक्टेमाइज किया है, और रिटायर होने के बाद वह इस तरह के ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बन जाता है, और वही विक्टेमाइज कर्मचारी न्याय लेने के लिए उनके पास जाता है तो दोबारा उसका विक्टेमाइजेशन होगा । यह एक छोटी बात है, मैं एक बड़ी बात भी कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में ब्यूरोक्रेसी का रुख कर्मचारियों के खिलाफ है ।

मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हिन्दुस्तान में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कारखानों में मालिकों का मजदूरों के प्रति रुख है, वही रुख आज सरकारी दफ्तरों में, चाहे राज्य सरकार के दफ्तर हों या केन्द्रीय सरकार के दफ्तर हों, इन ब्यूरोक्रेट्स सैक्रेटरीज और ज्वायन्ट सैक्रेटरीज का, कर्मचारियों के खिलाफ है । इसलिए यह सिस्टम का सवाल है, वर्ग का सवाल है और ये दोनों अलग अलग वर्ग हैं । इसलिए जो बेइन्साफी होती है, जुल्म होता है, वह ब्यूरोक्रेसी से होता है और जिस वर्ग से उन कर्मचारियों को बेइन्साफी मिलती है अगर उन्हीं के भविष्य का फैसला भी उन्हीं लोगों के हाथ में दे देंगे, जिन्होंने जुल्म किया है तो मैं यह कह सकता हूं कि उन लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है ।

क्लाज 6 में जो कहा गया है कि सैक्रेटरी और ज्वायन्ट सैक्रेटरी उसके चेयरमैन बन सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह जुडिशियल आर्गेनाइजेशन है और इसका ताल्लुक किसी भी ब्यूरोक्रेट से नहीं होना चाहिये । अगर आप सरकारी कर्मचारियों को न्याय देना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि सैक्रेटरी और ज्वायन्ट सैक्रेटरी को बिल्कुल भी, किसी कीमत पर भी ऐसे ट्रिब्यूनल्स का चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिये ।

सबसे बड़ी कमजोरी मैंने क्लाज नं० 3 में देखी है जिसमें यह जिक्र किया गया है कि कोई भी कर्मचारी इस ट्रिब्यूनल में जाकर, उसके साथ जो बेइन्साफी हुई है, उसके बारे में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मांग कर सकता है । जिस प्रकार लेबर ट्रिब्यूनल्स में प्रतिनिधि यूनियन जाकर अपनी लड़ाई लड़ सकती है, अपनी मांग रख सकती हैं, मांग-पत्र रख सकती हैं, अगर मैनेजमैंट के साथ उनका फैसला नहीं होता तो बाकायदा लेबर ट्रिब्यूनल्स में उनका केस जाता है, उनके चार्टर आफ डिमांड्ज पर फैसला होता है, उस प्रकार का प्रावीजन इस बिल में नहीं है ।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एसोसियेशन अपने मांग-पत्रों को लेकर, झगड़ों को लेकर, जिनका फैसला जे०सी०एम० में नहीं होता, डिपार्टमेंटल काउंसिल में नहीं होता, राज्यों में नहीं होता, वह एसोसियेशन्ज अपने मांग-पत्रों को, विवादों को, डिस्प्यूट्स को लेकर वहां रख सकें । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल में बकायदा यह प्रावीजन करना चाहिये । यह ट्रेड यूनियन्स की बहुत बड़ी अवहेलना होगी अगर एसोसियेशन्ज का इसमें जिक्र नहीं किया जाये । जिस प्रकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अन्दर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और लेबर ट्रिब्यूनल्स को अधिकार दिया गया है कि वहां वह अपने डिस्प्यूट्स को ले जायेंगे, उसी प्रकार जो सरकारी कर्मचारियों की एसोसियेशन्ज हैं, चाहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हों या राज्य सरकार के कर्मचारियों की हों, उनको भी अधिकार मिलना चाहिये कि इन ट्रिब्यूनल्स में अपनी बात रख सकें ।

धारा 2 में जिक्र किया गया है कि कौन से कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो सकते । इसमें कहा गया है नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स के कर्मचारी और इनके अलावा लोक-सभा व राज्य-सभा के कर्मचारी, ये तमाम इस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते । एक ऐसी कैटेगरी हिन्दुस्तान में और है जो न तीन में है न तेरह में है और ना ही उनका जिक्र पब्लिक सर्विस कमीशन में है और न ही आर्मी में है, वह हैं बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन के कर्मचारी जो कि लाखों में आज हिन्दुस्तान में हैं ।

20—25 हजार फुट ऊंचाई के ऊपर जाकर सड़क बनाते हैं । हमारे सैनिकों के लिये वह कर्मचारी रात-दिन एक करके सर्दी के अन्दर, जहां सर्दी 10 डिग्री तक होती है, वहां जाकर सड़क बनाते हैं, मुझे दुख है कि उनका कोई कहीं जिक्र नहीं किया गया है । वह कहते हैं कि हम को भी पूरी फैसिलिटीज दीजिये ।

जनता पार्टी के शासन के दौरान, उस समय जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं, वे अपनी एसोसियेशन बना सकते हैं । जब रक्षा मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी एसोसियेशन बनायी तो उन को जनता पार्टी के शासन के दौरान जेल में डाल दिया गया, उनकी नौकरियों को टर्मिनेट कर दिया गया । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि संबंधित अधिकारी उनको मिलिट्री के अन्दर शामिल कर लें ताकि उनको भी वे सब सुविधायें प्राप्त हो सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं बहुत से मामलों में इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि आज सरकारी कर्मचारियों के बहुत से मामले निजी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विचाराधीन हैं। वे वर्षों से विचाराधीन हैं। कई मामले तो 20—25 वर्ष हो गये, उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। वे सरकारी कर्मचारी अधर में लटके हुए हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा, इस ट्रिब्यूनल के बन जाने से इस प्रकार की बात नहीं होगी। लेकिन इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया देने की बात इस बिल में है, जैसा हमारे पहले साथियों ने कहा, सरकारी अफसरों को खासकर सैक्रेटरी, एडीशनल सैक्रेटरी को जो ट्रिब्यूनल में रखा गया है, उससे न्यायिक प्रक्रिया की बात पूरी नहीं होती। यह बिल तो सैक्रेटरी लोग बनाते हैं, सरकारी कर्मचारी बनाते हैं। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री जी, जब यह बिल बना था, उस समय वह विभाग में मंत्री थे या नहीं और उन्होंने अपना दिमाग इस बिल में लगाया था या नहीं। अगर ठीक प्रकार से अपना दिमाग इस बिल में लगाया होता, तो जैसा हमारे साथियों ने एतराज किया है, वह बात उनकी समझ में भी आती। इसमें जब न्यायिक प्रक्रिया है, तो केवल न्यायाधीशों को इस ट्रिब्यूनल में रखना चाहिये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे सरकारी अफसर हों, सैक्रेटरी हों, ज्वायन्ट सैक्रेटरी या एडीशनल सैक्रेटरी हों, वे पहले अपील करते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर है। जब उनकी अपील ना-मंजूर हो जाती है, उसके बाद अदालतों में शरण लेते हैं। इस प्रकार यह अपील सुनने वाले यही सरकारी कर्मचारी हैं और इन्हीं के खिलाफ मामला ट्रिब्यूनल में जायेगा और उस पर वही विचार करेंगे। हो सकता है वह जातीतौर से मामले में न रहे हों, लेकिन उनका कोई मित्र हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है, जिसके बारे में उनका यह ख्याल हो कि यह कोई गलत फैसला नहीं कर सकता, तो इससे न्याय नहीं मिल सकता। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस पर वह पुनर्विचार कर लें।

दूसरी बात मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि फौज के आदमियों को, एयर-फोर्स के आदमियों को, नेवी के आदमियों को इस ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। यह एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन्ड फोर्स है। इसमें शक नहीं है कि तरक्की में, पे फिक्सेशन में और अन्य बहुत से मामलों में इस फोर्स में ज्यादती होती है। मंत्री जी हमारे रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनको मालूम है कि बहुत से मामले फौज वाले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ले गये हैं। फौज के भी बहुत से मामले उस में विचाराधीन हैं। तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह फौज के अन्दर ही कोई ऐसा ट्रिब्यूनल बनाने की बात सोचें जिस से कि उन फौजियों को भी जल्दी न्याय मिल सके जिन को कि अपनी तरक्की के मामले में या और दूसरे मामलों में बहुत चक्कर लगाना पड़ता है अदालतों का और बहुत परेशानी होती है।

जहां तक पार्लियामेंट का और अदालतों का संबंध है वह तो बात समझ में आती है क्योंकि स्पीकर ही वहां फाईनल एथारिटी होता है ग्रीवांसेज सुनने और उनका निपटारा करने का और मैं ऐसा समझता हूं कि स्पीकर न्याय ही करता है चाहे वह संसद का स्पीकर हो या लेजिस्लेचर का। इसलिये इस को तो मत सम्मिलित कीजिये और फौज के लोगों को इस ट्रिब्यूनल में नहीं शामिल करना चाहते हैं तो उनके लिये कोई और ट्रिब्यूनल बनाना चाहिये।

इसी कान्टेक्स्ट में मैं यह और कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिये या सरकारी अधिकारियों के लिए तो यह ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है लेकिन सरकारी अधिकारी और

कर्मचारी जब जनता के साथ अन्याय करते हैं, जब जनता के साथ वे ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं या उन के खिलाफ भ्रष्टाचार या नियम के विपरीत काम करने की शिकायत आती है तो क्या उन के लिये भी कोई ट्रिब्यूनल बनाने की बात आप के विचाराधीन है ? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया या और उस के खिलाफ कोई दरख्वास्त दे दी तो वह दरख्वास्त आखिर में उसी अफसर के पास जांच करने के लिये जाती है जिस के खिलाफ वह दरख्वास्त होती है । हम पालियामेन्ट के मेम्बर हैं । मुझ को तजुर्बा है और हम में से बहुत से लोगों को यह तजुर्बा होगा कि हम लोग भी किसी अधिकारी के खिलाफ लिखते हैं तो मामला उसी अधिकारी के पास जांच करने के लिए चला जाता है । तो क्या मंत्री जी इस के लिए भी कोई ट्रिब्यूनल बनाने वाले हैं ? माननीय मंत्री जी बहुत ही एफिश्येंट व्यक्ति हैं, रक्षा मंत्री की हैसियत से बहुत ही एफिश्येंट काम इन्होंने किया है तो क्या वह इस बात के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा शिकायती ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो पब्लिक की शिकायतें जो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ होती हैं, उन को भी सुने, उनकी वह जांच करे और उस के ऊपर कार्यवाही कर सके ? ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनाने के लिए भी वह कोशिश करें । मुझे पूरी आशा है कि वह इस पर विचार करेंगे ।

[अनुवाद]

***श्री आर० अन्नानाम्बी** (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक, 1985 पर बोलने का अवसर दिया है ।

महोदय, यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिये था । इससे अदालतों का भार कम हो गया होता । इससे सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मसलों पर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित हो गये होते । फलस्वरूप, अदालतें आम व्यक्ति के मामलों पर ज्यादा ध्यान देने में समर्थ होतीं ।

यद्यपि यह विधेयक देर से लाया गया है फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिये है । न्यायाधिकरण को केन्द्र तथा राज्यों में स्थापित किया जा रहा है । सरकारी कर्मचारी अपनी उचित शिकायतों का शीघ्र निपटान करवाने में समर्थ नहीं है । वे भरसक प्रयास कर रहे हैं । उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही अपने परिवार तथा अदालत के मामलों का खर्चा उठाना होता है । उनके विवादों के निपटाने में हो रही असाधारण विलम्ब की वजह से उन्हें कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । अदालतों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनके पास हजारों मामले हैं । हाल ही में स्वर्गीय श्री के०टी० कोसलराम द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने अदालतों में लम्बित मामलों की कुल संख्या बताई है । इन सब मामलों को निपटाने के लिये सरकार को कई वर्ष लगेंगे । यह विधेयक लाने के लिये मैं श्री के०टी० कोसलराम तथा अपनी तरफ से माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं । यह आप लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये लाभदायक होगा ।

आम आदमी को इससे राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें भी अपने अदालती मामलों का निर्णय होने में दशकों इन्तजार करना पड़ता है । ऐसा भी होता है कि उनके गवाह मुकदमे के बीच में ही

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

टूट जाते हैं। बिचौलिए उनका सारा पैसा खा जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामलों को अदालतों के दायरों से दूर कर देने पर अदालतें शीघ्र निर्णय देने में समर्थ होंगी। भविष्य में, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि देरी से किया गया न्याय, न्याय नहीं है।

अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अध्यक्ष की भांति प्रत्येक बात के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यायाधीश ही सर्वज्ञ हैं। मैं सुझाव दूंगा कि केन्द्र अथवा राज्य में गृह विभाग में पांच वर्ष अथवा इससे अधिक सचिव पद पर रहे व्यक्ति को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिये। उप-सभापति ऐसे लोक सेवक को बनाना चाहिये जिसे सरकारी कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त हो। इसी तरह से, सरकारी कर्मचारियों का, उनके द्वारा विधिवत् निर्वाचित प्रतिनिधि को न्यायाधिकरण का सदस्य बनाना चाहिये। मैं सुझाव दूंगा कि सदस्यों तथा सभापति का कार्यकाल समान होना चाहिये। यह न्यायाधिकरण के सभापति तथा सदस्यों के लिये समान रूप से पांच वर्ष होना चाहिये।

मैं अपने माननीय मंत्री जी के प्रशंसनीय प्रयासों का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके साबित कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों का हित उनके लिये सर्वप्रथम है और वे उनकी शिकायतों को निपटाने के लिये कटिबद्ध हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं माननीय सदस्यों को उनके अच्छे सुझावों तथा उनकी आशंकाओं के लिये धन्यवाद दूंगा। इससे मुझे उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब देने का अवसर मिला है। साथ ही, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक इसके प्रत्येक चरण पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही लाया गया है। प्रारम्भिक अवस्थाओं में कर्मचारी संघों से विचार-विमर्श किया गया है, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा किया गया है, विधि विभाग से परामर्श किया गया है और उसके पश्चात् मंत्रिमण्डल ने इस कानून को प्रस्तुत किया है। यह विधेयक राज्य-सभा में पारित किया जा चुका है, परन्तु चूंकि सातवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिये विधेयक को यहां फिर से नये रूप में लाया गया है।

न्यायाधिकरण की रचना तथा क्षेत्राधिकार के संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा कतिपय आशंकायें उठाई गई हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि न्यायाधिकरण में लोगों की कतिपय श्रेणियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

मैं बताना चाहूंगा कि उच्च-न्यायालय से प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक बात में भिन्न है और वह है कि उच्च न्यायालयों का कार्य सर्वसाधारण को प्रभावित करने वाले सभी तरह के कानूनों के मामलों पर विचार करना है, प्रस्तावित न्यायाधिकरण सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी विषयों पर विचार करेगा। अतः विभिन्न व्यक्तियों तथा संगठनों एवं सशस्त्र सेनाओं के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां तथा उदाहरण संगत नहीं हैं और इसके क्षेत्राधिकार के बाहर होगा। सशस्त्र सेनाओं के लिये, स्थल सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम तथा वायु सेना अधिनियम हैं और अन्य उपबन्ध भी हैं। फिर भी, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी

मुद्दों को नोट कर लिया है। निश्चित ही, सशस्त्र सेनाओं के लिये न्यायाधिकरण गठित करने के संबंध में एक चर्चा भी हो रही है। परन्तु इसको निश्चित करना उनका काम है न कि इस मंत्रालय का। इस विधेयक में, जैसा कि मैंने कहा है, सशस्त्र सेनाओं पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार नहीं है। यहां तक कि सीमा सड़क संगठन इस की सीमा में नहीं आता। वह एक भिन्न संगठन है। वे विभिन्न अधिनियमों द्वारा नियन्त्रित हैं, और रक्षा मंत्रालय तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालयों के तहत है। विषय को जटिल नहीं बनाना चाहिये, यह इससे संबद्ध नहीं है।

न्यायाधिकरण की रचना के संबंध में, बहुत से माननीय सदस्यों, विशेष रूप में श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी ने बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि न्याय और सार्थकता की दृष्टि से ही विधेयक में उपबन्ध किये गये हैं। सचिवों, कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सभापति का अथवा प्रस्तावित पद पर कार्य करना प्रयोजनकारी उपबन्ध है। यह उन्हें वांछनीय बनाने के लिये है। केन्द्रीय न्यायाधिकरण के संबंध में नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति ही एकमात्र व्यक्ति होगा और माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। जहां तक राज्य न्यायाधिकरणों का संबंध है, वह सरकार से संबंधित तंत्रों के साथ विचार-विमर्श करके ऐसा कर सकेंगे। और सरकार सभी संगत पहलुओं पर विचार करेगी, उदाहरण के लिये, न्याय को दृष्टिगत रखते हुए तथा बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी आशंकाओं पर भी विचार करेगी।

न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के समानान्तर नहीं बनाये जा रहे किन्तु जहां तक कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी समस्याओं और मामलों का संबंध है वे उच्च न्यायालय का काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि वास्तविकता जानने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को, जो कि अनुभवी हैं और जिन्हें सेवा शर्तों की विभिन्न जटिलताओं की जानकारी होती है, इन न्यायाधिकरणों में शामिल किया जाना चाहिये। संविधान की धारा 323 के अंतर्गत ही यह कानून बनाया गया है।

जहां तक आंतरिक प्रतिस्पर्धा एवं कतिपय अधिकारियों को उत्पीड़ित किये जाने का संबंध है, मैं कहूंगा कि ये टिप्पणियां ठीक नहीं हैं तथा हम प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को एक ही श्रेणी में समाविष्ट नहीं कर सकते। हर जगह कुछ दुश्चरित्र व्यक्ति हैं। लेकिन इस बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा कि ऐसा न हो।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि न्यायाधीशों की कमी है और इस कारण बहुत से मामले लंबित पड़े हैं। इसी कारण तो हम तेजी से न्याय दिलाने के लिये तथा उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों से, जिन पर उनका बहुत समय बर्बाद हो रहा है, मुक्त कराने के लिये यह कानून बना रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हमने इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया है।

जहां तक संघों का संबंध है, जिसका माननीय सदस्य श्री ललित माकन ने उल्लेख किया है, इस बारे में सोचना व्यक्ति विशेष या संबद्ध पक्ष का काम है। यह संघों के लिये नहीं है। संघों के लिये न्यायालय है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेवारत लोगों के सेवा संबंधी मामलों, सेवा शर्तों के लिए हैं। यह मुद्दा इसकी परिधि से बाहर है।

महोदय, इनमें से अधिकांश मुद्दे एक जैसे हैं । श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा एक यह मुद्दा उठाया गया है कि सदस्यों के लिये आयु सीमा 62 वर्ष तथा सभापति के लिये 65 वर्ष रखकर भेदभाव क्यों बरता गया है । ऐसा इसलिये किया गया है कि कोई सदस्य अपने कार्यकाल के बाद सभापति या उप-सभापति भी बन सके.....

(व्यवधान)

जब आप बोल रहे थे तो मैंने कोई बाधा नहीं डाली और मुझे आशा है आप भी ऐसा ही करेंगे ।

संघ लोक सेवा आयोग में भी न्यूनाधिक रूप से इसी विधि का अनुकरण किया जाता है ।

मेरे विचार से मैंने उन अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जो यहां उठाये गए हैं । उनमें से कुछ प्रश्न एक से हैं । अतः मैं सदन का अनुग्रह चाहता हूं और सिफारिश करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में, के किसी निगम के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय-निर्णयन या विचारण करने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 37 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 37 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"पैंतीसवां" **के स्थान पर** "छत्तीसवां" **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(श्री के०पी० सिंह देव) (1)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक , यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूं कि कल सभा 10 बज कर 58 मिनट पर समवेत् होगी । अब हम सभा स्थगित करते हैं ।

3.58 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 जनवरी 1985/10 माघ, 1906 (शक) के 10 बज कर 58 मिनट तक के लिये स्थगित हुई ।

प्रभासमुनी—348/लोक सभा/85—17-9-85—250 कापियां ।

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खण्ड है । सातवीं लोक सभा के अवसान तक, लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण प्रकाशित किये जाते थे, अर्थात् (एक) मूल संस्करण, जिसमें सभा की कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था, जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हो, परन्तु जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते थे उनका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्टकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था; और (दो) हिन्दी संस्करण, जिसमें हिन्दी में सम्पन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एवं क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद छापा जाता था ।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र से, लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं, अर्थात् (एक) अंग्रेजी संस्करण, जिसमें अंग्रेजी में सम्पन्न हुई कार्यवाही मूल रूप में, और हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा; और (दो) हिन्दी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, परन्तु उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ-साथ फारसी लिपि में प्रकोष्ठकों में भी छापा जायेगा ।

3. इसके अतिरिक्त लोक सभा की कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल अभिलेख और सन्दर्भ के लिये तैयार किया जा रहा है, जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं ।

4. अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों में एक उपयुक्त संकेत दिया जा रहा है, जो यह दर्शायेगा कि कार्यवाही का कौन सा विशिष्ट अंश मूल रूप में अंग्रेजी/हिन्दी में है और कौन सा अनूदित है ।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिन्दी के ये अलग-अलग संस्करण सदस्यों एवं रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे ।

नई दिल्ली ;
जनवरी, 1985

सुभाष काश्यप,
महासचिव ।